

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1043/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015, लखनऊ: दिनांक: सितम्बर 19, 2022

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत गोला शाहजहापुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.००० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ४९.०९८ हे० वनभूमि तथा शाहजहापुर में किमी० ४९.००० से ५९.००० तक ८.०० हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल ६२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में ५४५८ एवं शाहजहापुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/५९०, दिनांक १४.११.२०१७, पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/१६९, दिनांक ११.०६.२०१८, पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/८५, दिनांक १०.०५.२०२२, पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/३०५, दिनांक २९.०७.२०२२ एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-१३१७/१४-१०-४, दिनांक १२.०९.२०२२ तथा वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली का पत्रांक-८७९/१४-१, दिनांक ०८.०९.२०२२

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक-१३१७/१४-१०-४, दिनांक १२.०९.२०२२ तथा वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली के उपरोक्त पत्रांक-८७९/१४-१, दिनांक ०८.०९.२०२२ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1043 /11-सी-FP/UP/ Road/13414/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, दक्षिणी खीरी एवं शाहजहापुर।
4. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो०नि०वि०, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक:- 1317 / 14-10-4, लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Ad-son
18
cc/Inoda
A-O
12/09/22

विषय:-

विश्वबैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.००० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वन भूमि एवं ४७.१० हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ४९.०९८ हे० वन भूमि तथा शाहजहाँपुर में किमी० ४९.००० से ५९.००० तक ८.०० हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल ६२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ५४५८ एवं शाहजहाँपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/८५ दिनांक-१०.०५.२०२२ एवं आपका पत्रांक-३१९६/११-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक-१३.०५.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी ने अपने पत्रांक-८३८/३३-१ दिनांक-२७.०८.२०२२ द्वारा पुनः अनुपालन आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। जिसे मूल में सलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(रेणु सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:- / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक-८३८/३३-१ दिनांक २७.०८.२०२२ के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक- 838 /33-1 दिनांक: लखीमपुर-खीरी : 27 /08/ 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहापुर मार्ग (एस०एच०-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि०मी० 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 49.098 हे० वनभूमि तथा शाहजहापुर में कि०मी० 49.000 से 59.000 तक 8.000 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 57.098 हे० वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु एवं उस पर दक्षिण खीरी वन प्रभाग में 5458 वृक्ष एवं शाहजहापुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष कुल 6275 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) की पत्र संख्या : 8बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/३०५ दिनांक २९.०७.२०१२ एवं ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/८५ दिनांक १०.०५.२०२२ पर आपकी पृष्ठांकन संख्या : 4861/14-10-4, दिनांक १९.०५.२०२२

महोदया,

उपरोक्त विषयक परियोजना में भारत सरकार द्वारा दिनांक १५.०५.२०२२ को संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या ०१ के अनुसार अवगत कराना है कि वन विभाग के पक्ष में विषयानुसार उल्लिखित प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने एवं प्रभावित आरक्षित वन भूमि के समतुल्य पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु वर्तमान दरों को समाहित करते हुये एडहॉक कैम्पा के खाते में जमा कर दी गयी है। प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले प्राप्त २.१६५ हे० समतुल्य गैर वन भूमि जिलाधिकारी, खीरी द्वारा वन विभाग को प्राप्त एवं राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम अमलदरामद हो चुकी है, जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि है। साथ ही शासन स्तर से उक्त भूमि को धारा-४ के नोटिफिकेशन हेतु निर्देश जारी हो चुका है। जमा धनराशि की रसीद की छायाप्रति एवं अमलदरामद से सम्बन्धित खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।

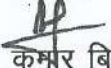
विषयक परियोजना का No-Violation प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्रकरण में उल्लिखित सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् पुनः प्रेषित है :-

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या
1	संशोधित शर्त-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के सोपक्ष दुगने अवनत वन भूमि (55.1X2=110.2 ha) एवं प्रभावित आरक्षित वनभूमि (1.998 हे०) के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (2.165 हे०) पर वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के सोपक्ष दुगने अवनत वन भूमि (55.1X2=110.2 ha) एवं प्रभावित आरक्षित वनभूमि (1.998 हे०) के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (2.165 हे०) (संबंधित अभिलेख संलग्नक-१) पर ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि को कैम्पा, एकाउण्ट में NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं० 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। जिसकी प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। संलग्नक-२ (चालान, टोकन नं०, एस०बी०आई०, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई-पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि कैम्पा एकाउण्ट में, NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। जिसकी प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। संलग्नक-2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई-पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)
इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	जमा की गयी कुल धनराशि रु0 60480650.00 (वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रु0 16046956.00 एवं एन0पी0वी0 हेतु धनराशि रु0 44433694.00) को कैम्पा एकाउण्ट में, NEFT द्वारा सीतापुर कोषागार का टोकन नं0 461864446 दिनांक 23.03.2018 एवं टोकन नम्बर 4621102850 दिनांक 22.07.2021 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। संलग्नक-2 (चालान, टोकन नं0, एस0बी0आई0, सीतापुर से मेल द्वारा प्राप्त ई-पेमेन्ट की रसीद की छायाप्रति)
प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-3
विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-4
प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे की आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण किया जायेगा।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-5
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	इस हेतु प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-6
प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून, दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	इस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-7

द्विआंकिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन रक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में चना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा "No-violation" का प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति एवं वर्तमान "No-violation" का प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-8
ज्य सरकार ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर र तकनीकी रूप से अपलोड नहीं हो पाये हैं उक्त स्तावेज ऑनलाईन अपडेट करते हुए इस ग्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	ऑनलाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज तथा क्षतिपूरक वनीकरण की KML file, Toposheet & Geo Reference Map ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।

अतः अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (संजय कुमार बिश्वाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 दक्षिण खीरी वन प्रभाग

हः / उक्त दिनांकित।

लेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 (विश्व बैंक) लो0नि0वि0, सीतापुर।

1
 (संजय कुमार बिश्वाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 दक्षिण खीरी वन प्रभाग।

41

कार्यालय जिलाधिकारी, खीरी
(भूमि व्यवस्था अनुभाग)

सं०-12ए/भूमि पुनर्ग्रहण-वन वि० ग्रन्थलन्दनपुर/डीएलआरसी, दिनांक-14-6-2015
आदेश

शासनादेश सं०-258/18(1)-1973-रा०-1 दिनांक-16 जून 1981 को
औशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्य० अधि० 1950(उ०प्र० अधिनियम
सं-1-1951) की धारा-117 की उपधारा-(6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा
शासकीय अधिसूचना सं०-258/रा०-1/18(1)-73 दिनांक 5 मार्च 1974 द्वारा प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, किंजल सिंह जिलाधिकारी, खीरी नीचे अनुसूची में
उल्लिखित भूमि जो अबतक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ
6 में गाँवसभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेते हुए
वन विभाग दक्षिण खीरी के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की जाती है।

अनुसूची

क्र०सं०	जनपद	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा स्था० प्राधिका०	गाँटा सं०	क्षेत्रफल	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खीरी	गोला	हैदराबाद	ग्रन्थ लन्दनपुर	ग्रन्थ लन्दनपुर	2271	2.165ह	वनविभाग के पक्ष में।

(10/6/15)

जिलाधिकारी, खीरी।

संख्या तथा दिनांक तदवतः

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, दक्षिण खीरी जनपद लखीमपुर-खीरी।

2-अधीक्षण अभियन्ता विश्व बैंक योजना गृह, लो०नि०वि० लखनऊ।

3-अधीक्षाधी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3(विश्व बैंक) लो०नि०वि०, सीतापुर।

4-उपजिलाधिकारी गोला।

5-तहसीलदार गोला इस आशय से कि वह सम्बन्धित भूमि के स्थल की पैमाइश कराकर
कब्जा दिलाये एवं अभिलेखों में वन विभाग के नाम उक्त भूमि का अमलदार प्रमाण
उद्धरण की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करावे।

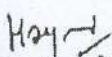
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

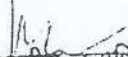
V. K. Singh
14/6/15

प्रमाण-पत्र

70

प्रमाणित किया जाता है कि गोला-शाहजहाँपुर राजमार्ग स्टेट हाइवे नं०-93 के चौड़ीकरण कार्य में शामिल वन भूमि के बदले चिन्हित भूमि जिस पर क्षतिपूरक वृक्षीकरण किया जाना है, इस कार्य एवं प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है। इनमें से 100 हे० भूमि मोहम्मदी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि है तथा 2.165 हे० भूमि वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा पुर्नग्रहीत कर वन विभाग को दी गयी है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मोहम्मदी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखीमपुर
दक्षिण खीरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

प्र/क्र : 28030100510

ग्राम का नाम : ग्रन्थ लखनपुर

फसली वर्ष : 1422-1423

परगना हैदराबाद

तहसील : गोला

उद्धरण खतौनी (शासकीय कार्या हेतु)

खता खतौनी खतौदार का नाम पिला / पति / संरक्षक का नाम

भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष

खाने के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या

प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

खतौदार परिवर्तन सम्बन्धी आशा या व्दारा देय उसका संरक्षा उनकी संख्या तथा मालगुजारी दिनांक सहित और आशा देने या लगाना वाले अधिकारी का पद

टिप्पणी

श्रेणी : 5-2	वृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (प्रतीकरीम)	2	3	4	5	6	7-12	13
4186	ऊसर							

नि. ग्राम



पूर्वा 421	19	0.2950	जिलाधिकारी महोदय खीरी के कार्यालय के पत्र सं०-12 ए/भूमि पुनर्ग्रहण वन वि० प्रन्थल-खनपुर/डीएलआर सी दि० 14-6-15 के अन्तर्गत आदेश हुआ कि शासनद्वारा सं० 258/16(1)-1973-रा०-1 दिनांक 16 जून 1981 का आदेश परीष्कार करते हुए और उ० प्र० न० 1950(उ० प्र०) अ० 1951 को धारा 117 की उपधारा (6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिनियम सं० 258/रा०-1/16(1)-73 दि० मार्च 5, 1974 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं किञ्चित् सिंह जिलाधिकारी खीरी उल्लिखित भूमि गाटा सं० 2271/2, 165 हे० जो अबतक गंवसभा / स्थानीय प्राधिकारियों से निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेते हुए वन विभाग दक्षिण खीरी के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की जाती है।
पूर्वा 421	22	0.1580	ह० अ० 0 के० 23-6-15
पूर्वा 421	24	0.0810	
पूर्वा 421	56	0.1940	
पूर्वा 421	318	0.1500	
पूर्वा 421	343	0.0650	
पूर्वा 421	356	0.1210	
पूर्वा 421	359	0.0240	
पूर्वा 421	360	0.1340	
पूर्वा 421	361	0.2830	
पूर्वा 421	362	0.0040	
पूर्वा 421	363	0.0120	
पूर्वा 421	364	0.0770	
पूर्वा 421	370	0.0440	
पूर्वा 421	489	0.0320	
पूर्वा 421	624ख	0.0810	
पूर्वा 421	625ख	0.2140	
पूर्वा 421	626	0.0360	
पूर्वा 421	628	0.4290	
पूर्वा 421	630ख	0.0930	
पूर्वा 421	631	1.7120	
पूर्वा 421	851	0.1210	
पूर्वा 421		0.0450	

संक्र : 28030100510

ग्राम का नाम : ग्रन्ट लन्दनपुर

परगना हैदराबाद

तहसील : गोला

: खीरी

फसली वर्ष : 1422-1423

भाग : 1

खास का नाम

पिता / पति /
सरक्षक का नाम

निवास स्थान

भूमिक अधिकार
प्राप्त होने का
फसली वर्षखाते के प्रत्येक
गाटे की खसरा
संख्याप्रत्येक
गाटे का
क्षेत्रफल
(हे .)खालेदार
द्वारा देय
मालगुजारी
या लगानापरिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या
उसका संरक्षण उनकी संख्या तथा
दिनांक सहित और आज्ञा देने
वाले अधिकारी का पद

टिप्पणी

2

3

4

5

6

7-12

13

पूर्वा 421

2069

0.3560

पूर्वा 421

2145

0.2830

पूर्वा 421

2178

0.0890

पूर्वा 421

2181

0.0080

पूर्वा 421

2194

0.3480

पूर्वा 421

2211

0.0850

पूर्वा 421

2214

0.3080

पूर्वा 421

2221

0.2430

पूर्वा 421

2235.

0.0890

पूर्वा 421

2264

0.0400

पूर्वा 421

2269

0.0650

पूर्वा 421

2271

2.1650

पूर्वा 421

2280

0.3520

पूर्वा 421

2284

0.9110

पूर्वा 421

2290.

0.9710

पूर्वा 421

2295

1.4290

पूर्वा 421

2424

0.1130

पूर्वा 421

2428

0.2140

पूर्वा 421

3336

0.3280

पूर्वा 421

3348

0.3560

पूर्वा 421

3358

0.1820

पूर्वा 421

3360

1.3310

पूर्वा 421

3362

0.0120

पूर्वा 421

3395

0.3840

पूर्वा 421

3415

0.0810

पूर्वा 421

3425

0.3160

पूर्वा 421

3595

0.6270

पूर्वा 421

3598

0.1820



304

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-03-2018	
Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(in Rs)	59321739/-
Amount in Words : Five Crore Ninety-Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-03-2018	
Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(in Rs)	59321739/-
Amount in Words : Five Crore Ninety-Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

S.K. Gaur
B-2 CO-3(WB) PWD
Sitapur

CCL/DCL E-PAYMENT BILL FORM FOR FINANCIAL YEAR-20172018

SION CODE : 1885

DIVISION NAME : WORLD BANK DN STP

HEAD CODE: 8782001020202

1. District Name : SITAPUR 2. Treasury Name : SITAPUR 3. Bill Date: 23-03-18 4. Record Code :CCL 5. Treasury Code : 4600
 6. Bill Register Serial No : C188500001 7. Voucher No : 8. Voucher Date : 9. Token No:461864446
 10. Non-Plan Voted 12. Object Code:24 13. Head of Account (13 Digit Code) : 5054053379705 Major Head : (5054) - CAPITAL OUTLAY ON
 ROADS AND BRIDGES Minor Head : (337) - ROAD WORKS Sub Head : (97) - 14. Grant No:058

(66)-Gross :59321739

(77)-Total Deduction :0

(99)-Net Amount :59321739

SBI :0

NON SBI:59321739

Draft : 0

Passed for Rs.59321739 (Rs. Five Crore Ninety Three Lakh Twenty One Thousand Seven Hundred Thirty Nine Only)

Under Rs.59321739

Signature D.D.O.

Signature(BPA)

Signature(ATO)

Signature(TO/SIO/CIO)

आविशत अभियन्ता

निर्माण कार्य-3 विवर देव

लो.नि.वि.0, सीतापुर

10/4/18
 (S.K. Gauran)
 BB CD-3 (WB) PWD
 Sitapur

304

You are here: Reports > File Upload Status

Download MIS
Download by Date
Download Recon Files
Pending For Authorization
Files Under Process
File Upload Status
Download By File
Download Beneficiary List
Account Based MIS
Bulk Download Challan
Pending Transactions
Download Duplicate Beneficiaries

Your previous site visit:
29-Mar-2018 14:23 IST

Last Internet Banking
Transaction:
Request for ThirdParty
24-Mar-2018 16:52 IST

File Upload Status

10-Apr-2018 [12:29 PM IST]

e-PayOrder Number CNAAILTGC0
Debit Status Success
Remarks Completed Successfully
Scheduled Time 25-Mar-2018 07:00 IST

25-03-2018

PAY UTTAR PRADESH CAMPA

MAKER SUJEET KUMAR 59321739.00

ACCOUNT NO 00080032391709115

STATE BANK OF INDIA

SITAPUR

SUSHIL KUMAR MAHENDRA KUMAR
GAUTAM 1972 AGRAWAL
Approver Authorizer 1 Authorizer 2

CNAAILTGC0 461254446N323032018

Actual Debit Amount 5,93,21,739.00
Commission 0.00
Counterfoil Description 1885
Transaction Type NEFT Transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000032391709115	SITAPUR	59321739.00

Credit Account Details

Account No. / Name	Bank/Branch	Amount	Credit Status
150906113414970 / UTTAR PRADESH CAMPA	FCS BANGALORE/CORPORATION BANK	59321739.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank

Back

31/04/18
(S.K. Gautam)
BB CD-3 (WB) PWD
Sitapur

116

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-07-2021

Agency Name.	UTTAR PRADESH (UP) PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD)
Application No.	6113414557
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/109/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects (Roads), Nirman Bhawan, 96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001 (UP) Lucknow
Amount(In Rs)	1158911/-

Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Eight Thousand Nine Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150906113414567 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-07-2021

Agency Name.	UTTAR PRADESH (UP) PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD)
Application No.	6113414557
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/109/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects (Roads), Nirman Bhawan, 96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001 (UP) Lucknow
Amount(In Rs)	1158911/-

Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Eight Thousand Nine Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150906113414567 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Print

Back

Photo copy Attached

19/07/2021 15:14

SNo.		Token No.		Debit Amount		Bill Reg No.		Name		Debit Amt							
1		4621102850		C197200007		SITAPUR		1158911									
SNo.		Beneficiary Id		Name		Credit Amount		IFSC Code		UPIRNO		Status		Payment Date		Credit Amt	
1		B460000539079		UTTAR PRADESH CAMPA		UBIN0903710		RBI2042172916867		BOOK		2021-07-22		1158911			
TOTAL															1158911		

Meeta Singh
 Executive Engineer
 Construction Div. 1 (Roads & Parks)
 P.W.D., SITAPUR

304

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if any change occurs in future for rate of NPV.

12/4/18
समीर कुमार
प्रशासीक वनाधिकारी
वर्द्धाण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

For UPPWD
12/4/18
S.K. Gupta
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

303

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF DEMARCATION OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of demarcation of proposed Forest Area by pillars mentioning bearing at Forward and Backward side after Formal Approval. The pillaring shall be undertaken during Joint Survey with Forest Dept. Map mentioning the Latitude and Longitude of the pillars shall also be submitted to forest dept.

12/4/18
समीर कुमार
प्रमार्गीय वनधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

For UPPWD
12/4/18
(C.K. Gantam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF PLANTATION BOTH SIDE OF THE ROAD

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of plantation both side the road and median (based on availability) under the directives of Forest Dept.

For UPPWD

10/4/18
(S.K. Gantam)

Executive Engineer,

CD-3 (World Bank),

PWD, Sitapur

12/4/18
राजीव कुमार

प्रमाणित वन अधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF MUCK DISPOSAL

(30)

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that the existing bituminous layer will be milled by milling machines and collected at plant site by using latest technology of recycling of the milled material, which is regenerate by adding admixture and emulsion. Thus the obtained mix will be reused in the construction of project highways. This practice is permissible under the Specification for highways published by Ministry of Road Transport & Highways (MORTH).

Hence, the project itself will not produce any muck to be disposed. It is further stated that muck produced is very valuable material and is mixture of grit and bitumen which is not advisable to throw it off.

12/4/18
समीर कुमार
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

For UPPWD
10/4/18
(S.K. Gantam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to comply with all present and future Regulations and Guidelines as may applicable for the project.

For UPPWD
10/4/18
(S.K. Gautam)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

12/4/18
समीर कुमार
प्रमारीय तनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that no work shall be carried in Forest Area before Formal Approval of the Project under Forest Conservation Act, 1980.

For UPPWD
12/4/18
(S.K. Grantan)
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

12/4/18
समीर कुमार
प्रमाणित वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन न किये जाने
के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दक्षिण खीरी वन प्रभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि०मी० 0.000 से 49.000 तक 1.998 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 49.098 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/13414/2015 में वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


(संजय कुमार बिश्वाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- ☒ To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. ☒ Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
☒ Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. ☒ Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Online Help ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All
 Bank Name : Mode of Payment :
 Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :
 Enter value for Search :
 SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/13414/2015 (.../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/13414/2015) Widening of "Gola-Shahjahanpur" section of State Highway No. 93" from Km 0.000 to Km 49.000 of SH-93 in Lakhimpur Kheri district and from Km 49.000 to Km 59.000 of SH-93 in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh	ROAD134142015567	14 Nov 2017	CA: 0/-, Addl 1158911/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Total :1158911/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 16 Mar 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 19 Jul 2021 Transaction Date :22 Jul 2021	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/3112124912147UCHMSouthKheriDFOCAAdditionalDem Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD134142015)
2	FP/UP/ROAD/13414/2015 (.../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/13414/2015) Widening of "Gola-Shahjahanpur" section of State Highway No. 93" from Km 0.000 to Km 49.000 of SH-93 in Lakhimpur Kheri district and from Km 49.000 to Km 59.000 of SH-93 in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh	ROAD134142015970	14 Nov 2017	CA: 14888045/-Addl 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 44433694/- Total : 59321739/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 23 Mar 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Mar 2018 Transaction Date :26 Mar 2018	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/3112312311286NVONcompressed_Der Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD134142015970)

संख्या

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 879 / 14-1, बरेली, दिनांक, 08/सितम्बर/2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला- शाहजहाँपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर जनपद में ०.००० से ४९.००० तक १.९९८ है० आरक्षित वन भूमि एवं ४७१.०० है० संरक्षित वन भूमि, कुल ४९.०९८ है० वन भूमि तथा शाहजहाँपुर जनपद में कि० मी० ४९ से ५९ तक ८.०० है० संरक्षित वन भूमि, कुल ५७.०९८ है० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थापित ५८९० वृक्षों के (लखीमपुर वन प्रभाग में ५४२५ तथा शाहजहाँपुर वन प्रभाग में ४६५ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक ४१६/११-सी/१३४१४/२०१५ दिनांक ०१-०८-२०२२ तथा भारत सरकार का पत्रांक ८बी/यू०पी/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/३०५ दिनांक २९.०७.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ पत्रों के द्वारा चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर ने अपनी पत्र संख्या- ६८२/१४-१ दिनांक ०२-०८-२०२२ के द्वारा अवगत कराया है कि सैधान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-१ के सम्बन्ध में जो आख्या चाही गयी है वह लखीमपुर खीरी वन प्रभाग से वींचित है। शाहजहाँपुर वन प्रभाग द्वारा विषयक प्रकरण में सैधान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या पूर्व में ही इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी, जो इस कार्यालय के पत्रांक ४२०८/१४-१ दिनांक २४-०५-२०१८ के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्नको सहित दो प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- (१)/१४-१, दिनांकित।

१- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक ६८२/१४-१ दिनांक ०२-०९-२०२२ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 682/14-1 शाहजहांपुर

दिनांक 2/08/2022।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.०० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ है० आरक्षित वनभूमि एवं ४७१.०० है० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ है० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ८.०० है० संरक्षित वनभूमि कुल ५७.०९८ है० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ५८९० वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में ५४२५ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ४६५ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ का पत्रांक ४१६/११सी दिनांक ०१-०८-२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उप महानिरीक्षक केन्द्रीय भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/३०५ दिनांक २९-०७-२०२२ द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-०१ के अनुपालन में जो सूचना चाही गयी है, वह दक्षिण खीरी वन प्रभाग से वांछित है।

शाहजहांपुर वन प्रभाग द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक २६८५/१४-१ दिनांक ०९-०५-२०१८ द्वारा आपको सम्बोधित पत्र के क्रम में प्रेषित की जा चुकी है। सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व में प्रेषित पत्र की छायाप्रति पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
- २- मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, बरेली उ० प्र०।
- ३- मुख्य अभियन्ता वाहय सहायता परियोजना लो० नि० विभाग, लखनऊ।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

[Signature]

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 4200 / 14-1, बरेली, दिनांक, 24, / मई / 2018.
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.००० से ४९.००० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ है० आरक्षित वनभूमि एवं ४७१.०० है० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ है० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ८.०० है० संरक्षित वनभूमि कुल ५७.०९८ है० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ५८९० वृक्ष (लखीमपुर वन प्रभाग में ५४२५ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ४६५ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८बी०/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/५९० दिनांक १४-११-२०१७

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहांपुर ने अपनी पत्र संख्या-२६८५/१४-१ दिनांक ०९.०५.२०१८ के द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ०३ प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या ०३ प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

Condition No.	Condition	Status of Compliance
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् ८.०० है० (८ X २ = १६.०० hac.) पर वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं०-१ के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि ८.० है० के स्थान पर दुगने अवनत वनभूमि १६ पर वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख रखाव हेतु धनराशि ३६५७१७४.०० ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गयी है। प्रभागीय निदेशक, शाहजहांपुर के पत्रांक २३५३/१४-१ दिनांक १२-०४-१८ द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-१)
2	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०ए०सं०-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५-०२-२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं०-२ (क) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा कर दी गयी है। प्रभागीय निदेशक, शाहजहांपुर के पत्रांक २३५३/१४-१ दिनांक १२-०४-१८ द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-१)
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑन लाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जायें। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	शर्त सं०-२ (ख) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन योजना प्राधिकरण (Ad-Hoc CAMPA) में जका कर दी गयी। प्रभागीय निदेशक, शाहजहांपुर के पत्रांक २३५३/१४-१ दिनांक १२-०४-१८ द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-१)

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि एन0पी0वी0 की दरों में भविष्य में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-2)
3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे Forward एवं पीछे Backward उनकी दशा में Bearing भी लिखनी होगी।	शर्त सं0-3 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का बचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि0 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़के के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	शर्त सं0-4 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	शर्त सं0-5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना संलग्न है। (संलग्नक-5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि सभी नियम, कानून के पालन में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा विषयक मार्ग पर कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन हुआ है।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। (संलग्नक-7)
8	राज्य सरकार आन लाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नहीं हो पाये हैं। उक्त दस्तावेज आन लाईन अपडेट करते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रकरण में वांछित आवश्यक दस्तावेज, क्षतिपूरक वनीकरण के0एम0एल0 फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेन्स मैप आन लाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार 03-03 प्रतियों में।

पत्र संख्या: 4208 (1)/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक-2685/15-1 दिनांक 09-05-2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सिवदीय,

(पी0पी0 सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

(पी0पी0 सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2685/147 दिनांक, शाहजहांपुर, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0 वा0 बरेली वृत्त, बरेली

9-5

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 471.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 है0 वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49 से 59 तक 8.00 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 5890 वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में 5425 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 465 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/590 दिनांक 14-11-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो विशेष सचिव वन उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पत्र में निम्नवत् है -

Condition No.	Condition	Status of Compliance
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् 8.00 है0 (8 X 2 = 16.00 hac.) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं0-1 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि 8.0 है0 के स्थान पर दुगने अवनत वनभूमि 16 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु धनराशि 3657174.00 ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 2353/14-1 दिनांक 12-04-18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि कैम्पा नई दिल्ली के पक्ष में जमा की जायेगी।	शर्त सं0-2 (क) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा कर दी गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 2353/14-1 दिनांक 12-04-18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आन लाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जायें। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	शर्त सं0-2 (ख) के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन योजना प्राधिकरण (Ad-Hoc CAMPA) में जका कर दी गयी। इस कार्यालय के पत्रांक 2353/14-1 दिनांक 12-04-18 द्वारा वांछित सूचना मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि एन0पी0वी0 की दरों में भविष्य में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-2)

3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगें प्रत्येक स्तम्भ के आगे Forward एवं पीछे Backward उनकी दशा में Bearing भी लिखनी होगी।	शर्त सं0-3 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का बचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि0 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़के के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	शर्त सं0-4 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।	शर्त सं0-5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना संलग्न है। (संलग्नक-5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि सभी नियम, कानून के पालन में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा विषयक मार्ग पर कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन हुआ है।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर कोई कार्य नहीं किया गया है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। (संलग्नक-7)
8	राज्य सरकार आन लाईन प्रस्ताव में सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज जो कि एन0आई0सी0 के स्तर पर तकनीकी रूप से अपलोड नहीं हो पायें है। उक्त दस्तावेज आन लाईन अपडेट करते हुये इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगी।	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रकरण में वांछित आवश्यक दस्तावेज, क्षतिपूरक वनीकरण के0एम0एल0 फाईल, टोपोशीट, जियो रिफरेन्स मैप आन लाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

उक्त सूचना में वांछित समस्त संलग्नक तीन-तीन प्रतियों में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि वांछित सूचना अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार 03-03 प्रतियों में।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं ~~जल~~ जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2685/

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3 (विश्व बैंक लो0नि0वि0, सीतापुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं ~~जल~~ जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक

147

दिनांक,

शाहजहांपुर,

-2018

सेवा में,

12-4-

मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा उ० प्र० लखनऊ।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.००० से ४९.००० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ है० आरक्षित वनभूमि एवं ४७१.०० है० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ है० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ८.०० है० संरक्षित वनभूमि कुल ५७.०९८ है० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ५८९० वृक्षों (लखीमपुर वन प्रभाग में ५४२५ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ४६५ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८बी०/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/५९० दिनांक १४-११-२०१७

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र, जो विशेष सचिव वन उ०प्र० शासन को सम्बोधित है एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु संख्या-१, २ की सूचना के क्रम में वांछित धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के पक्ष में ई-चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न) जमा की गयी धनराशि का विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के (कालम सं०-२०) एवं प्रपत्र-१२ में सूचना संकलित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्रम	शर्त का विवरण	नेफ्ट, ई-चालान सं०/दिनांक	धनराशि (हजार में)
१	२	३	४
१	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् ८.०० है० (८ X २ = १६.०० hac.) पर वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि	SBI TOKEN NO. 461864446 APPLICATION NO. 6113414970 Dt. 23.03.2018	3657174.00
२	प्रस्तावित वनभूमि ८.०० है० का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ ६.२६ lakh प्रति है०		5008000.00
	योग		8665174.00

कृपया उक्त की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी,

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2353 /

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन उपयोग वृत्त, उ०प्र०, लखनऊ को मय संलग्नक सहित प्रेषित।
- २- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा० वा० बरेली वृत्त, बरेली।
- ३- मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना निर्माण भवन-९६ महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

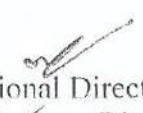
(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी,

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

PROFARMA

	Name of Regional Officer	MINISTRY OF ENVIORNMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE REGIONAL OFFICE (CENTRAL REGION)
2	State/Distt/Forest Division to Which the proposal relates.	Uttar Pradesh Shahjahanpur/Shahjahanpur Van Prabhag Shahjahanpur.
3	Name user Agency nature of proposal.	CD-3 World Bank PWD, Sitapur.
4	Extent of forest area involved.	8.00 hac.
5	Whether original or extention.	Original.
6	If extension of lease pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so specify.	N.A
7	Date of 1 st stage clearance.	Letter No. Letter no. 8B/U.P./06/109/2016/F.C/590 Dt. 14-11-2017
8	Extent of camp charges head wise viz.	
a	Compensatory Afforestation	3657174.00
b	Additional CA	---
c	Penal CA	---
d	Catchment area Treatment	---
e	Wildlife management plan	---
f	Additional charges of diversion of area falling under notified/protected areas.	---
g	Net present Value.	5008000.00
h	Any other charges/Levies Pl specify.	---
9	Details of Bank Draft (Bank Draft No. date & Amount) headwise againts items indicated in paragraph 8 above.	Through E-Chalan
10	Whether deposited by RTGS if so the particulars & date of remittamce.	Yes As directed vide letter No. 8B/U.P./06/109/2016/F.C/590 Dt. 14-11-2017 amount has been deposited through E-Chalan in compensatory Afforestation For Ac.No. 150906113414970 CORPORATION BANK FSC Bangalore (Statement inclosed)
11	Bank (corporation Bank, Lodhi complex/ union Bank of india sunder agar) in which deposited with date of depositer.	deposited through RTGS in compensatory Afforestation For Ac.No. 150906113414970 CORPORATION BANK FSC Bangalore.
12	Any other remarks.	CD-3 World Bank PWD, Sitapur.


 Divisional Director
 Social Forestry Division
 Shahjahanpur

proforma-1
for the Project granted in – principal approval (stage-1) on or after 30-10-2002.

Name of Project	Name of District	Order No. and date of approvals of central government under the forest (conservation) act 1980		Area involved (in hac.)	Amount received														Total Amount valued for transfer to ad'hoc CAMPA (Col 19)	Remark Draft No DL and Bank
		in principle (stage-I) Approval	Final approval with data		NP V	Compensatory afforestation (CA) addl CA, Penal CA (given component wise details	Catchment Area Treatment (CAT) Plan	As per the condition if any of the Supreme court / NDWL in respect of national park wild life	Other Scheme, if any as per the condition of government of India	Interest earned										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
widening project by CD-3 world Bank, Sitapur.	Shahjahanpur	Letter No. 8B UP/06/109/2016 FC 590 Dt. 14-11-2017	!	8.00	5008000.00	3657174.00	0.00	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	8665174.00	SBI TOKEN NO. 461864446 APPLICATION NO. 6113414970 Dt. 23.03.2018 SBI. SITAPUR.	
					Received	Received	Spent	Balance (Col 8-9)	Received	Spent	Balance (Col 11-12)	Received	Received	Spent	Balance (Col 15-16)					

Divisional Director
Social Forestry Division
Shahjahanpur

संलग्नक-1

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-03-2018	
Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(In Rs)	59321739/-
Amount in Words : Five Crore Ninety-Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details:	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 23-03-2018	
Agency Name.	PWD
Application No.	6113414970
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of the Chief Engineer, World Bank Projects Lucknow
Amount(In Rs)	59321739/-
Amount in Words : Five Crore Ninety-Three Lakh Twenty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Nine Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150906113414970
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

19/04/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रमोदीय निदेशक
वन एवं प्रकृत्य जीव प्रभाग
राजधानीपुर

19/4/18
सि.जी. (वि.सं.)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
राजधानीपुर
मो. 98200 22222

CCL/DCL E-PAYMENT BILL FORM FOR FINANCIAL YEAR-20172018

D1 / SIGN CODE : 1885

DIVISION NAME : WORLD BANK DN STP

HEAD CODE: 8782001020202

1. District Name : SITAPUR 2. Treasury Name : SITAPUR 3. Bill Date: 23-03-18 4. Record Code : CCL 5. Treasury Code : 4600
6. Bill Register Serial No : C188500001 7. Voucher No : 8. Voucher Date : 9. Token No:461864446
10. Non-Plan Voted 12. Object Code:24 13. Head of Account (13 Digit Code) : 5054053379705 Major Head : (5054) - CAPITAL OUTLAY ON
ROADS AND BRIDGES Minor Head : (337) - ROAD WORKS Sub Head : (97) - 14. Grant No:058

(66)-Gross :59321739

(77)-Total Deduction :0

(99)-Net Amount :59321739

SBI :0

NON SBI:59321739

Draft : 0

Passed for Rs.59321739 (Rs. Five Crore Ninety Three Lakh Twenty One Thousand Seven Hundred Thirty Nine Only)

Under Rs.59321739 (Rs. One Crore One Lakh One Thousand Seven Hundred Thirty Nine Only)

Signature(BPA)

Signature(ATO)

Signature(TO/STO/CTO)

आधिकारी अभियन्ता
निर्माण कार्य-०३ ईस्टव टो
लोकावेष्टि, सीतापुर

(मनेज कुमार खरे)
प्रशासकीय निदेशक
वन एवं कल्याण विभाग
साहेबगढ़पुर

(आ. न. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
साहेबगढ़पुर
मा. व. नं. ००, साहेबगढ़पुर

You are here: Reports > File Upload Status

Download MIS
Download by Date
Download Recon Files
Pending For Authorization
Files Under Process
File Upload Status
Download By File
Download Beneficiary List
Account Based MIS
Bulk Download Challan
Pending Transactions
Download Duplicate Beneficiary

Your previous site visit:
23-Mar-2018 14:23 IST

Last Internet Banking
Transaction:
Request for Third Party
24-Mar-2018 16:52 IST

File Upload Status

10-Apr-2018 [12:29 PM IST]

e-PayOrder Number: CNAAILTGC0
Debit Status: Success
Remarks: Completed Successfully
Scheduled Time: 25-Mar-2018 07:00 IST

25-03-2018

UTTAR PRADESH CAMPA

MAKRA SUJEET KUMAR 59321739.00

ACCOUNT NO: 00000032391709115

STATE BANK OF INDIA

SITAPUR

CNAAILTGC0

SUSHIL KUMAR GALIYAM 1972 Approver
MAHENDRA KUMAR AGRAWAL Authorizes 1
JANPRI MOHAN Authorizes 2

481854446N023032018

Actual Debit Amount: 5,93,21,739.00
Commission: 0.00
Counterfoil Description: 1885
Transaction Type: NEFT Transfer

Debit Account Details

Account No.	Branch	Amount
00000032391709115	SITAPUR	59321739.00

Credit Account Details

Account No. / Name	Bank/Branch	Amount	Credit Status
150906113414970 / UTTAR PRADESH CAMPA	FCS-BANGALORE/CORPORATION BANK	59321739.00	Fund settled by REI with beneficiary Bank

Back

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I/we also hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if any change occurs in future for rate of NPV.

For UPPWD

(S.K. Gautam) 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/04/18
(मनोज कुमार खेर)
प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

19/4/2018
(आर.पी. मिश्र)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर
मा० बा० व० प्रभाग, शाहजहाँपुर

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF DEMARCATION OF FOREST AREA

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of demarcation of proposed Forest Area by pillars mentioning bearing at Forward and Backward side after Formal Approval. The pillaring shall be undertaken during Joint Survey with Forest Dept. Map mentioning the Latitude and Longitude of the pillars shall also be submitted to forest dept.

For UPPWD

(S.K. Gautam) *[Signature]* 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

[Signature] 19/04/18
(मनोज कुमार खोर)
प्रशासनिक निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

[Signature] 19/4/18
(अ.जी. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर
मो. वा. व. प्रभाग, शाहजहाँपुर

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF PLANTATION BOTH SIDE OF THE ROAD

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to pay the cost of plantation both side the road and median (based on availability) under the directives of Forest Dept.

For UPPWD

(S.K. Gantam) *10/4/18*
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/04/18
(मनोज कुमार खेर)
प्रमाणित निदेशक
वन एवं वन्य प्राण प्रभाग
शहजहाँपुर

19/4/18
(आ. पी. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहजहाँपुर
ना० बा० व० प्रभाग, शहजहाँपुर

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF MUCK DISPOSAL

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that the existing bituminous layer will be milled by milling machines and collected at plant site by using latest technology of recycling of the milled material, which is regenerate by adding admixture and emulsion. Thus the obtained mix will be reused in the construction of project highways. This practice is permissible under the Specification for highways published by Ministry of Road Transport & Highways (MORTH).

Hence, the project itself will not produce any muck to be disposed. It is further stated that muck produced is very valuable material and is mixture of grit and bitumen which is not advisable to throw it off.

19/4/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रभारी निदेशक
राष्ट्रीय राजमार्ग
सितापुर

For UPPWD

(S.K. Gantam) 19/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/4/18
(आ. ए. ए. ए.)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहजहाँपुर
सा. वा. व. प्रभाग, शहजहाँपुर

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake to comply with all present and future Regulations and Guidelines as may applicable for the project.

For UPPWD

(S.K. Gautam) 10/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

19/04/18
(मनोज कुमार खरे)
प्रभारी अधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

19/4/18
(आ.प. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर
सा. व. व. प्रभाग, शाहजहाँपुर

UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF GUIDELINES

It is to certify that I/We have applied for diversion of 114.196 ha. ($47.1 \times 2 = 94.2$ ha. Protected Forest + $1.998 \times 2 = 3.996$ ha. Reserve Forest in District Kheri and $8.00 \times 2 = 16$ ha. Protected Forest in District Shahjahanpur) of Forest area for the purpose of Widening / Improvement of Gola-Shahjahanpur Road (SH-93)) from Km 0.00 to km 49.00 in Lakhimpur Kheri District and Km. 49.00 to 59.00 in Shahjahanpur District.

I/We, hereby, undertake that no work shall be carried in Forest Area before Formal Approval of the Project under Forest Conservation Act, 1980.

For UPPWD

(S.K. Gautam) *[Signature]* 19/4/18
Executive Engineer,
CD-3 (World Bank),
PWD, Sitapur

[Signature] 19/4/18
(अनोज कुमार खेर)
प्रमाणित निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

[Signature] 19/4/18
(आ. व. सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर
मां वां २० प्र. व. शाहजहाँपुर

**Office of the Chief Engineer
Externally Aided Project
UPPWD, Lucknow**

Letter No. 1004EAP 1-12/UPCRNDP/CEEAP/2022

Date: 24.05.2022

To,

Ad.S.O.
18
ccf/nodal
84.0
24/05/22
The Nodal Officer,
Forest Department
17 Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001 (UP)

Subject: Uttar Pradesh Road Network Development Project - Widening of "Gola- Shahjahanpur" section of State Highway No. 93" from Km 0.000 to Km 49.000 of SH-93 in Lakhimpur Kheri district and from Km 49.000 to Km 59.000 of SH-93 in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh (RO/Ministry File Number 8B/UP/06/109/2016/FC590 dt. 14.11.2017, Proposal No. FP/UP/ROAD/ 13414/2015) - Reg. Stage-II Forest Clearance

Reference.: RO, MoEFCC letter ref. No. 8B/UP/06/109/2016/FC/85 Dated 10.05.2022

Dear Sir,

This is with reference to the aforementioned letter by which the in Principle Stage-I Condition-1 of the Project has been corrected for obtaining the Stage-II Clearance.

In accordance to it, we have uploaded the Compensatory Afforestation Land details in Parivesh Portal and same have been verified for the submission of the Stage-I Compliance details, which is in process.

The Copy of Compensatory Afforestation Land details undertaken for the project are enclosed herewith for your ready reference.

Yours Sincerely,

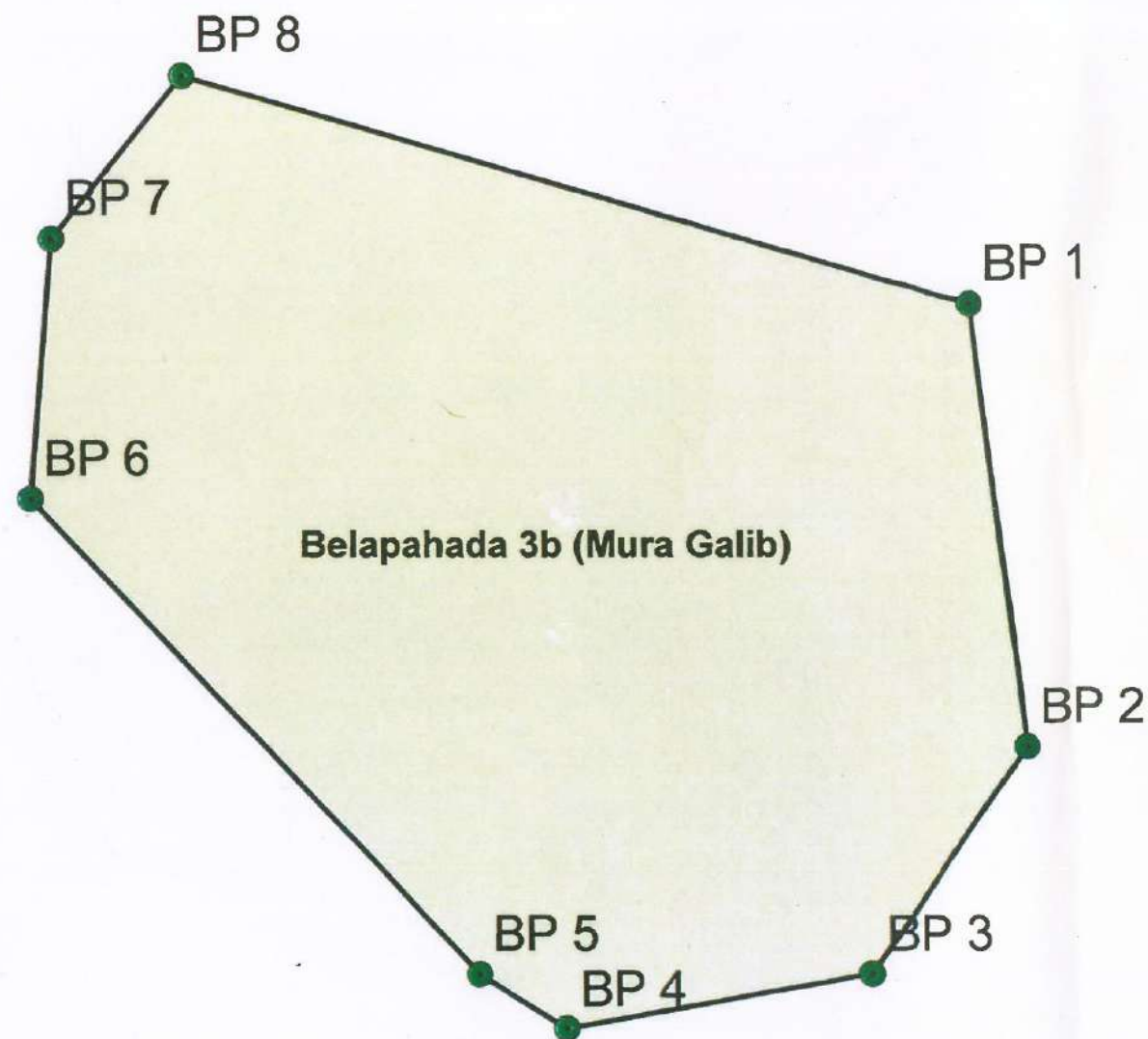
24-05-22
(V. K. Jain)
Chief Engineer (EAP)
UPPWD Lucknow

Encl.: 3 Sets of CA Land Map

Copy to: Following for Information.

1. Superintending Engineer, World Bank Project Circle, P.W.D., Lucknow
2. Executive Engineer, World Bank Division, PWD Sitapur

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Belaphada 3b (Mura Galib)	BP 1	28	2	7.3	80	15	8.3	4
	BP 2	28	2	3.2	80	15	8.8	
	BP 3	28	2	1.1	80	15	7.4	
	BP 4	28	2	0.6	80	15	4.6	
	BP 5	28	2	1.1	80	15	3.8	
	BP 6	28	2	5.5	80	14	59.7	
	BP 7	28	2	7.9	80	14	59.9	
	BP 8	28	2	9.4	80	15	1.1	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर खीरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE
HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN
LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM
50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

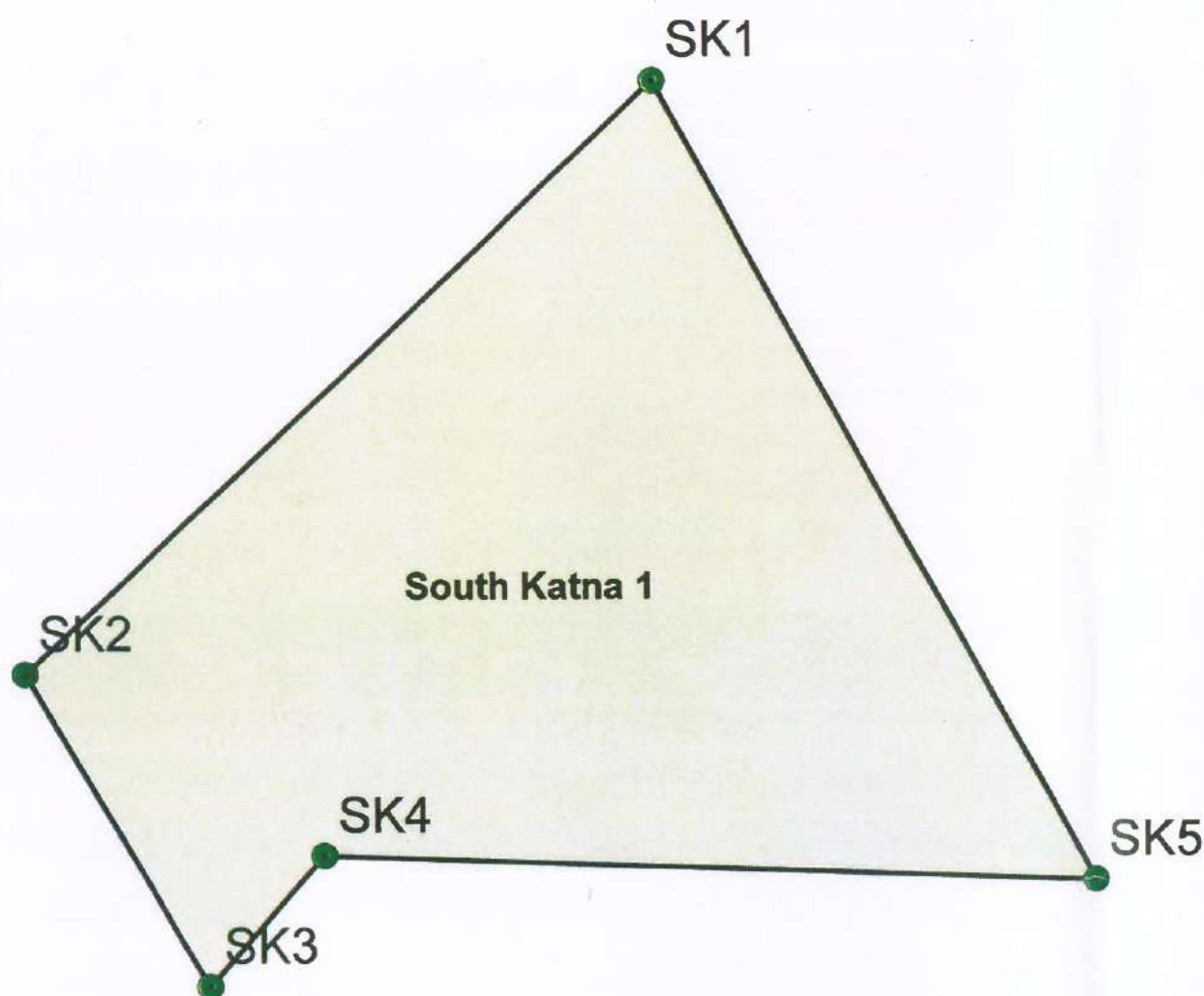
SOUTH KHERI DIVISION

Legend

● DGPS Point

Identified area for Compensatory Afforestation

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Legend

- DGPS Point
- Identified area for Compensatory Afforestation



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
South Katna 1	SK1	28	5	25.1	80	18	49.9	3
	SK2	28	5	18.3	80	18	42.7	
	SK3	28	5	14.7	80	18	44.8	
	SK4	28	5	16.2	80	18	46.1	
	SK5	28	5	15.9	80	18	54.9	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Katna Section
F.W.D. Lucknow

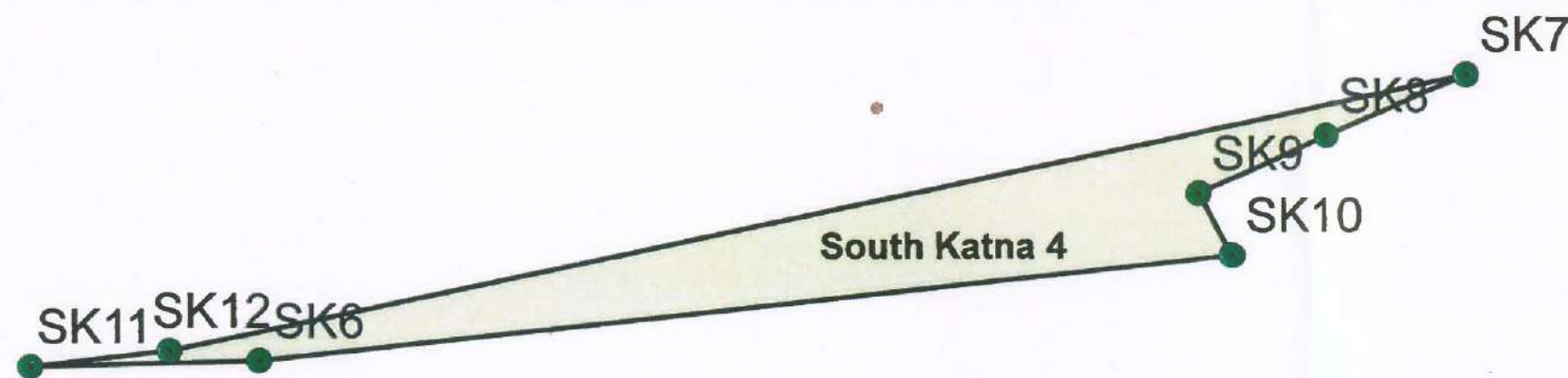
प्रमाणित वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
South Katna 4	SK6	28	5	2.08	80	19	2.58	4
	SK7	28	5	15.46	80	19	59.1	
	SK8	28	5	12.6	80	19	52.52	
	SK9	28	5	9.9	80	19	46.49	
	SK10	28	5	6.96	80	19	48.03	
	SK11	28	5	1.82	80	18	51.88	
	SK12	28	5	2.56	80	18	58.42	

Legend



DGPS Point



Identified area for Compensatory Afforestation

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

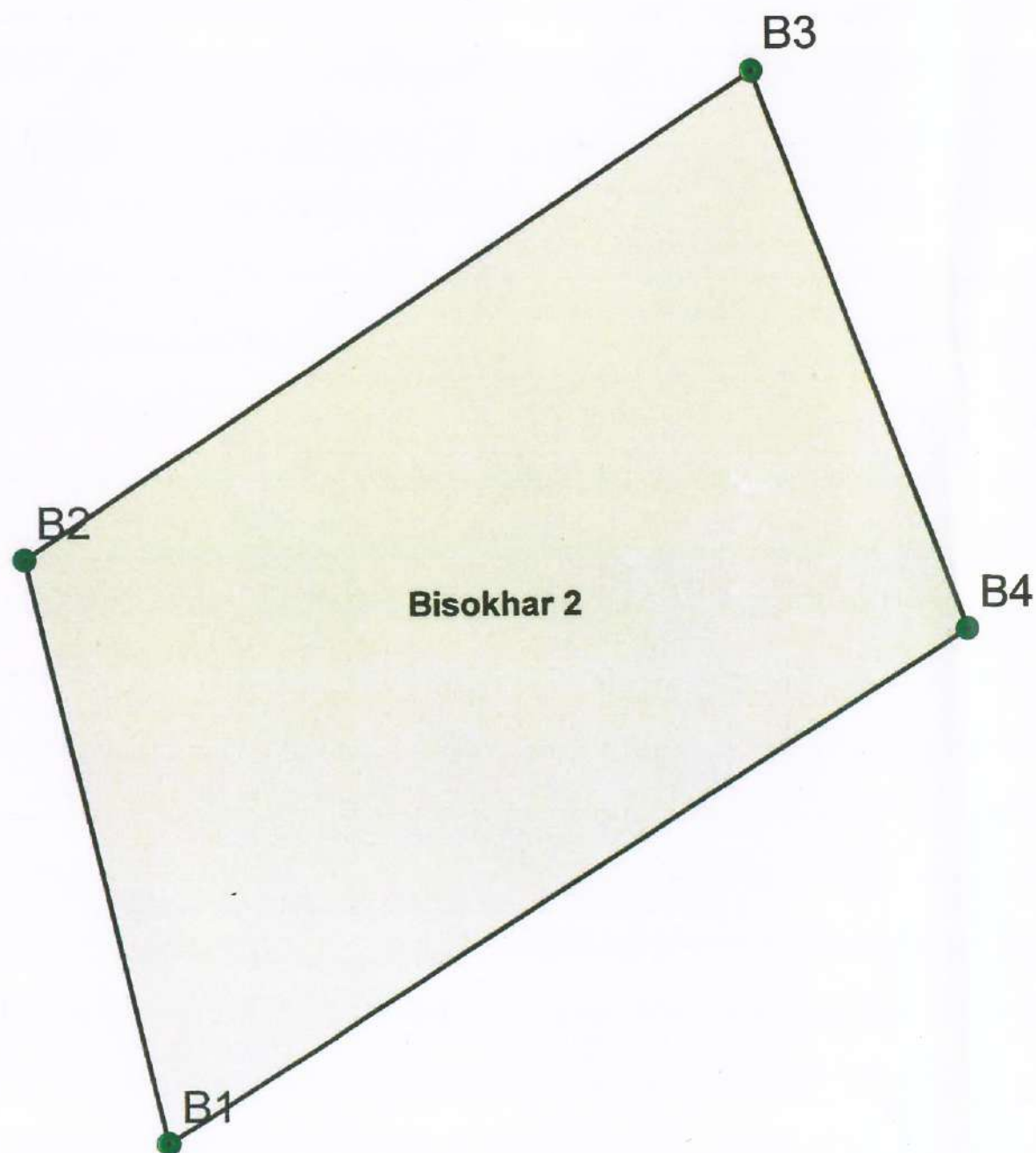
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Legend



DGPS Point



Identified area for Compensatory Afforestation



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Bisokhar 2	B1	27	56	7.4	80	25	44.6	3
	B2	27	56	16.3	80	25	42.5	
	B3	27	56	23.66	80	25	53.56	
	B4	27	56	15.14	80	25	56.73	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank, Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

प्रभागीय कर्माधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh

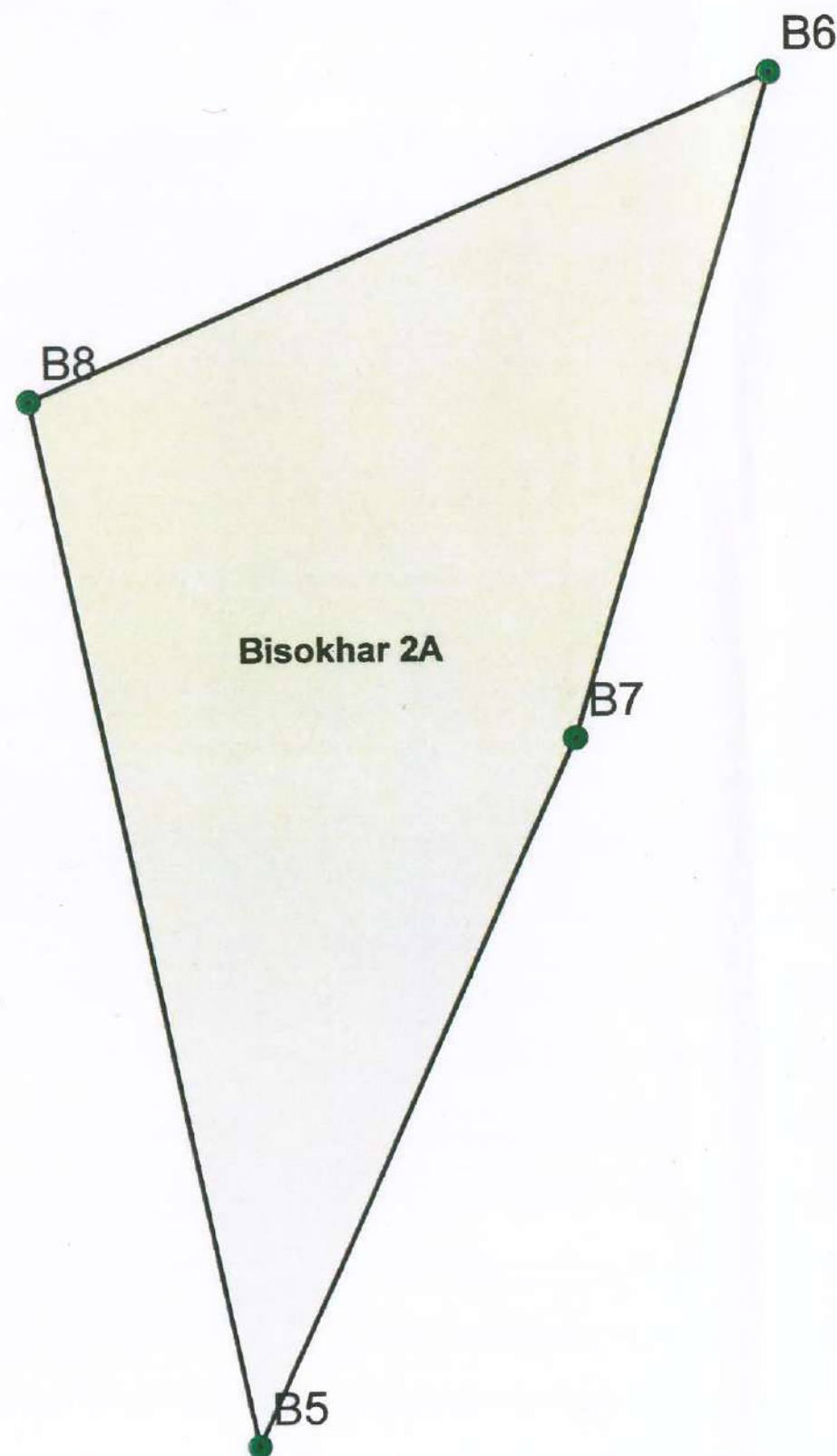
Legend



DGPS Point



Identified area for Compensatory Afforestation



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Bisokhar 2 A	B5	27	55	22.2	80	25	57.3	15
	B6	27	55	56.5	80	26	10.5	
	B7	27	55	39.9	80	26	5.4	
	B8	27	55	48.5	80	25	51.9	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

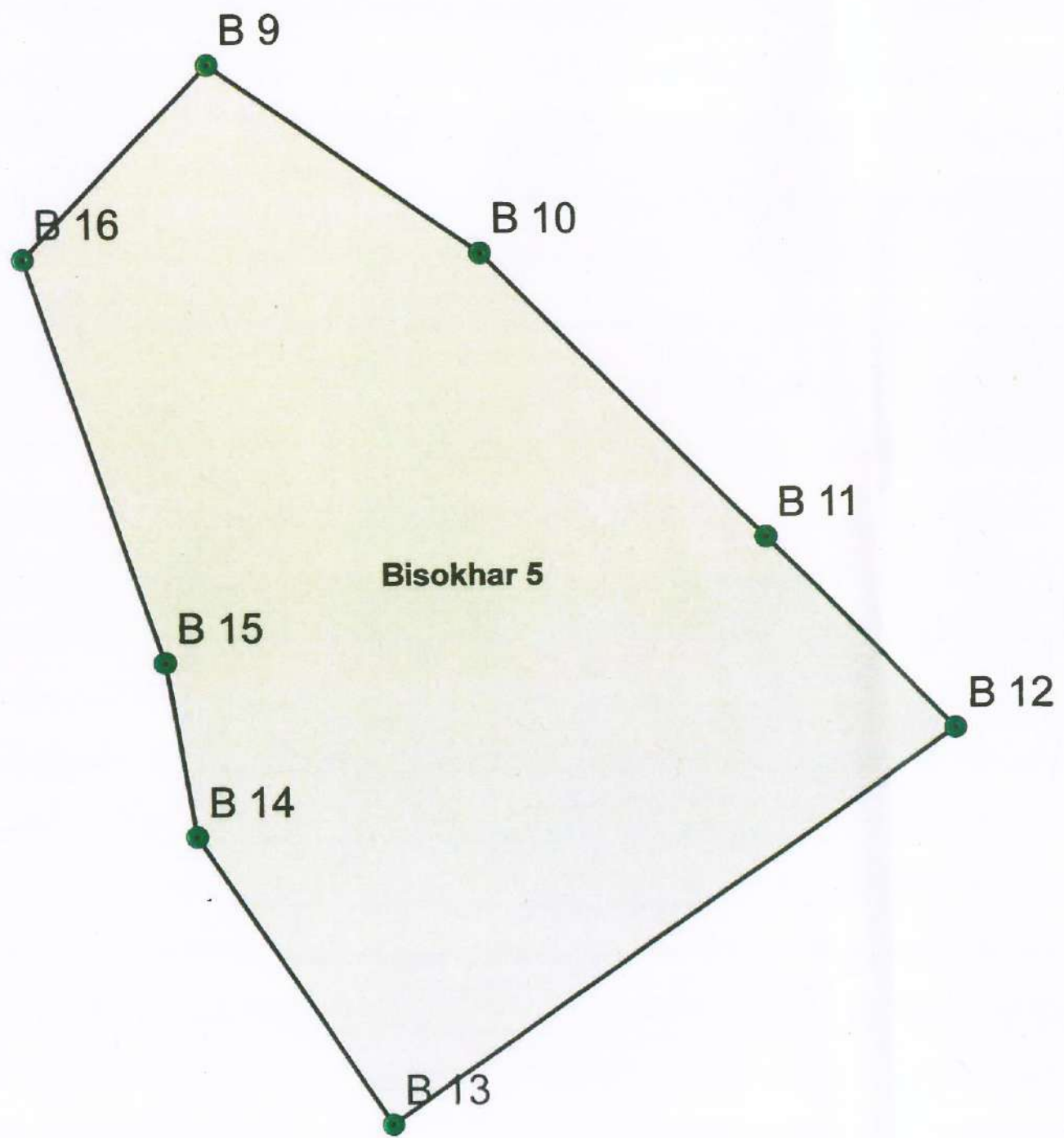
प्रभागीन अधिकारी
दक्षिण खेरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खेरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE
HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN
LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM
50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Bisokhar 5	B 12	27	55	44.39	80	23	57.69	14
	B 9	27	55	58.9	80	23	41.6	
	B 16	27	55	54.69	80	23	37.6	
	B 15	27	55	45.9	80	23	40.59	
	B 10	27	55	54.8	80	23	47.5	
	B 11	27	55	48.6	80	23	53.59	
	B 14	27	55	42.08	80	23	41.25	
	B 13	27	55	35.82	80	23	45.44	



A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow



प्रमाणित वन्यजीविकारी
दक्षिण खोरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खोरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

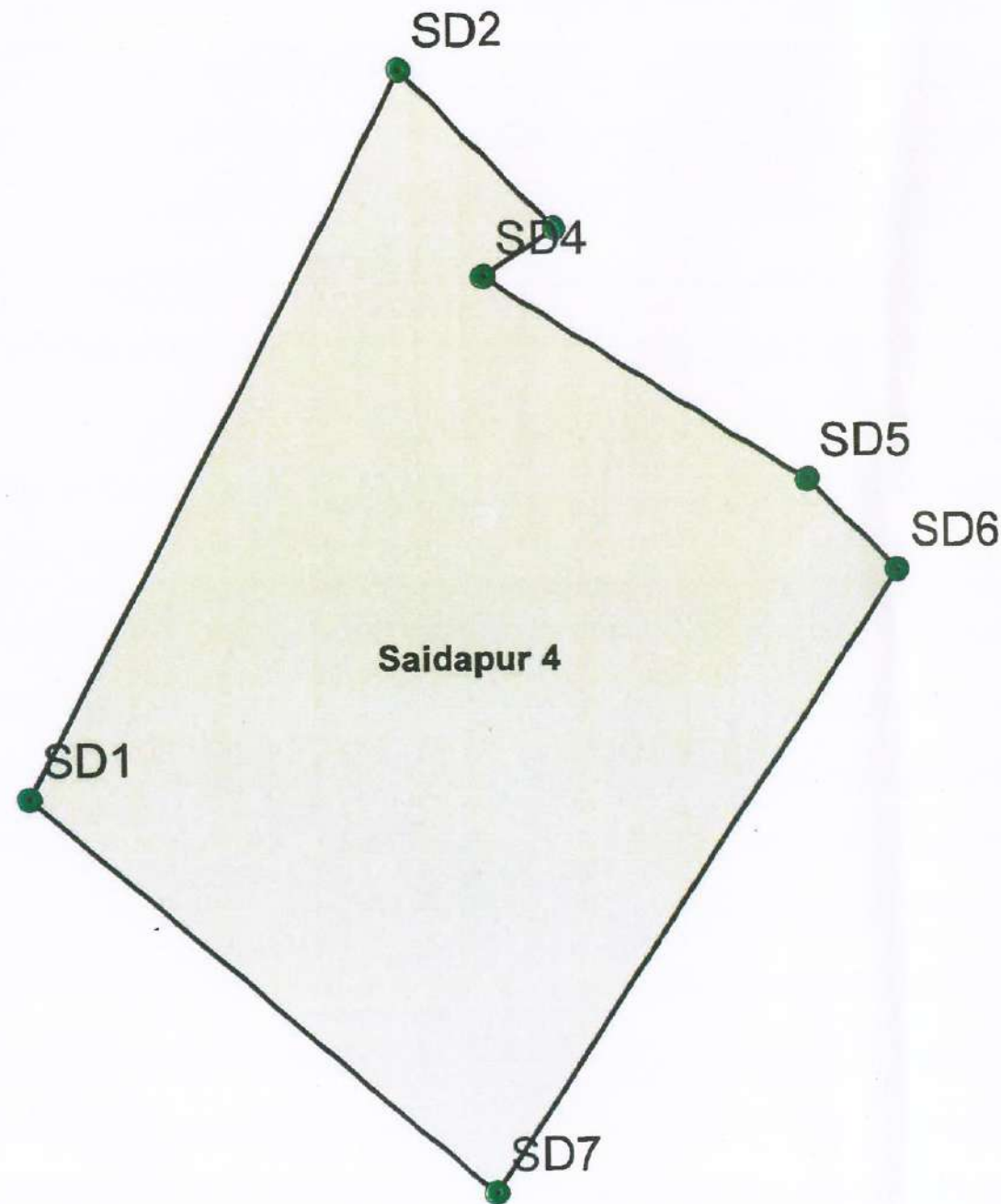
SOUTH KHERI DIVISION

Legend

 DGPS Point

 Identified area for Compensatory Afforestation

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Legend



DGPS Point



Identified area for Compensatory Afforestation



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Saidapur 4	SD1	27	52	40.69	80	19	7.7	5
	SD2	27	52	58.29	80	19	16.79	
	SD3	27	52	54.46	80	19	20.46	
	SD4	27	52	53.29	80	19	18.75	
	SD5	27	52	48.34	80	19	26.43	
	SD6	27	52	46.13	80	19	28.58	
	SD7	27	52	31.1	80	19	18.8	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

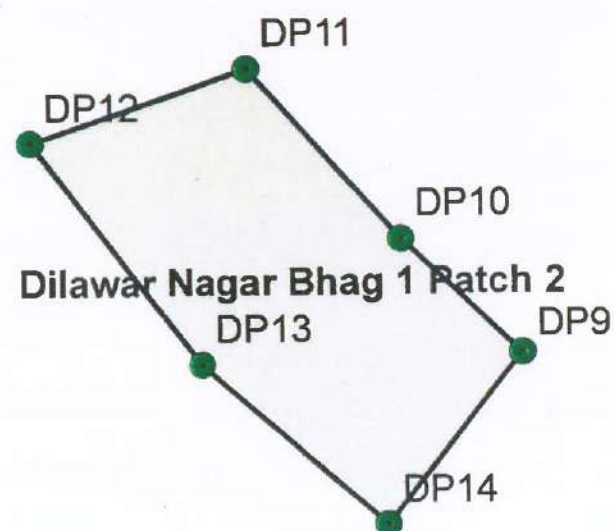
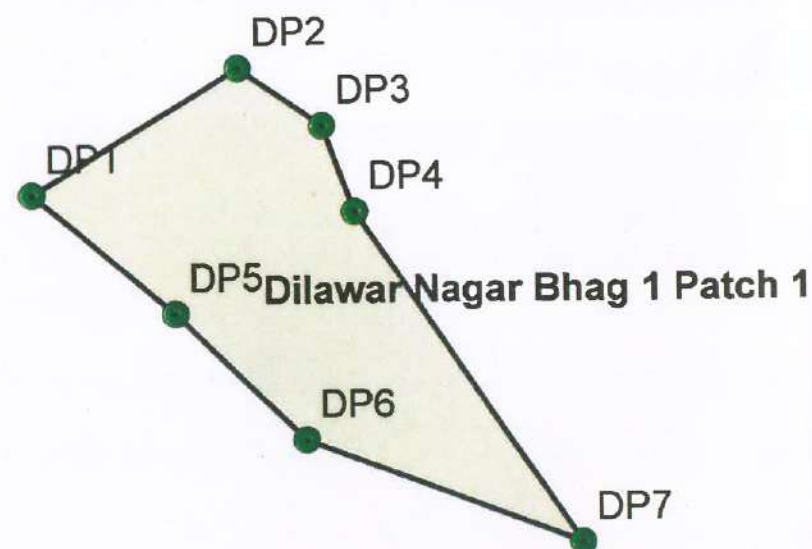
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खेरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खेरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE
HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN
LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM
50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Legend



DGPS Point



Identified area for Compensatory Afforestation



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Dilawar Nagar Bhag 1 Patch 1	DP1	27	51	41.8	80	18	13.8	25
	DP2	27	51	46.9	80	18	22.3	
	DP3	27	51	44.5	80	18	25.7	
	DP4	27	51	41	80	18	27	
	DP5	27	51	36.9	80	18	19.6	
	DP6	27	51	31.7	80	18	24.9	
	DP7	27	51	27.4	80	18	36.1	
	DP8	27	51	31.2	80	18	41.5	
Dilawar Nagar Bhag 1 Patch 2	DP9	27	50	51.9	80	18	33.8	
	DP10	27	50	56.6	80	18	28.88	
	DP11	27	51	3.6	80	18	22.7	
	DP12	27	51	0.6	80	18	13.8	
	DP13	27	50	51.46	80	18	20.75	
	DP14	27	50	44.83	80	18	28.23	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

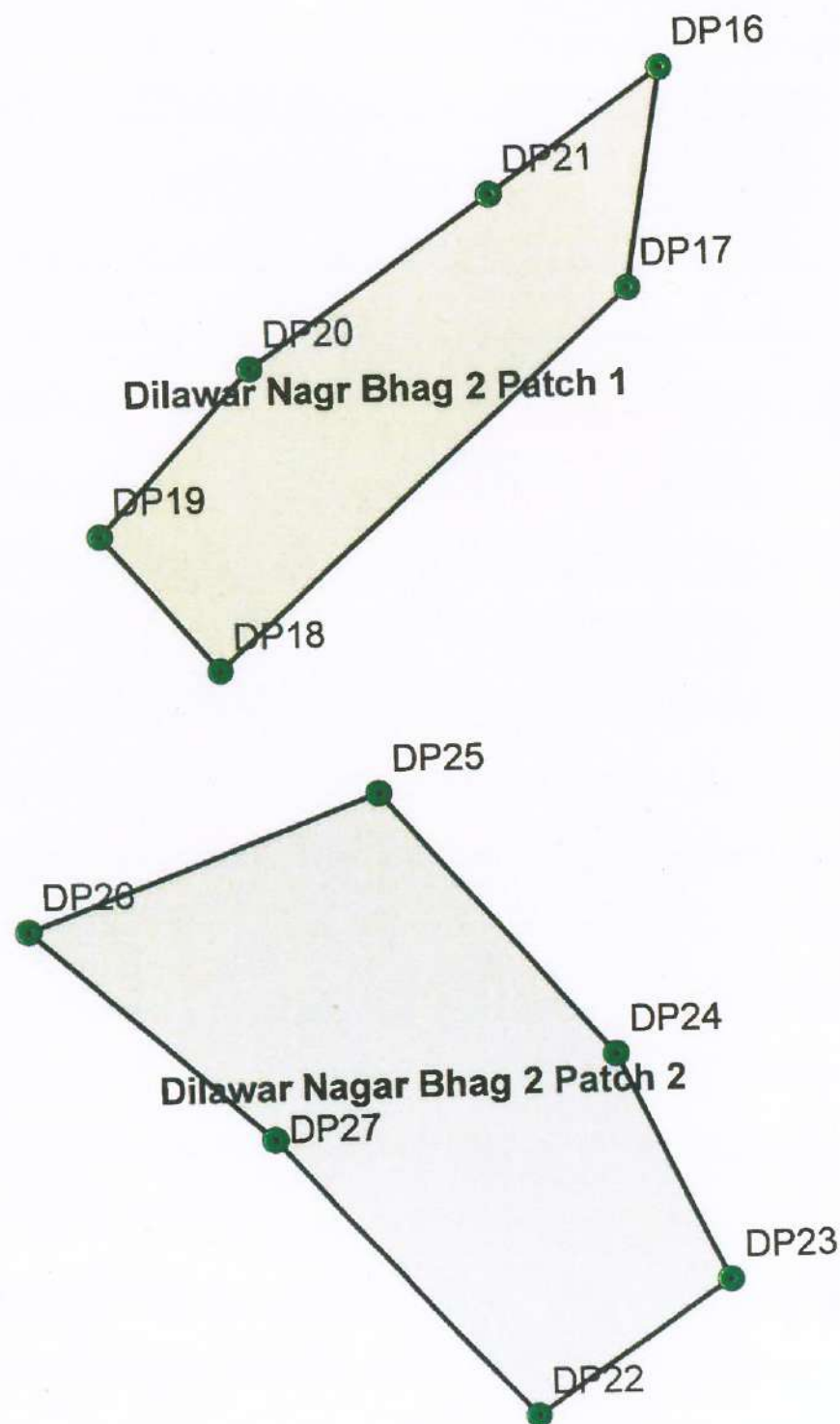
प्रमाणित कर्ताधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



Legend



DGPS Point



Identified area for Compensatory Afforestation



Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Dilawar Nagar Bhag 2 Patch 1	DP16	27	51	31.2	80	18	41.5	22
	DP17	27	51	24.4	80	18	40.3	
	DP18	27	51	12.8	80	18	27.3	
	DP19	27	51	17.1	80	18	23.7	
	DP20	27	51	22.2	80	18	28.5	
	DP21	27	51	27.4	80	18	36.1	
	DP22	27	50	49.32	80	18	36.4	
Dilawar Nagar Bhag 2 Patch 2	DP23	27	50	53.43	80	18	42.48	
	DP24	27	51	0.52	80	18	39.17	
	DP25	27	51	8.85	80	18	32.09	
	DP26	27	51	4.81	80	18	21.12	
	DP27	27	50	58.14	80	18	28.54	

A. K. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank Yojana Circle
P.W.D. Lucknow

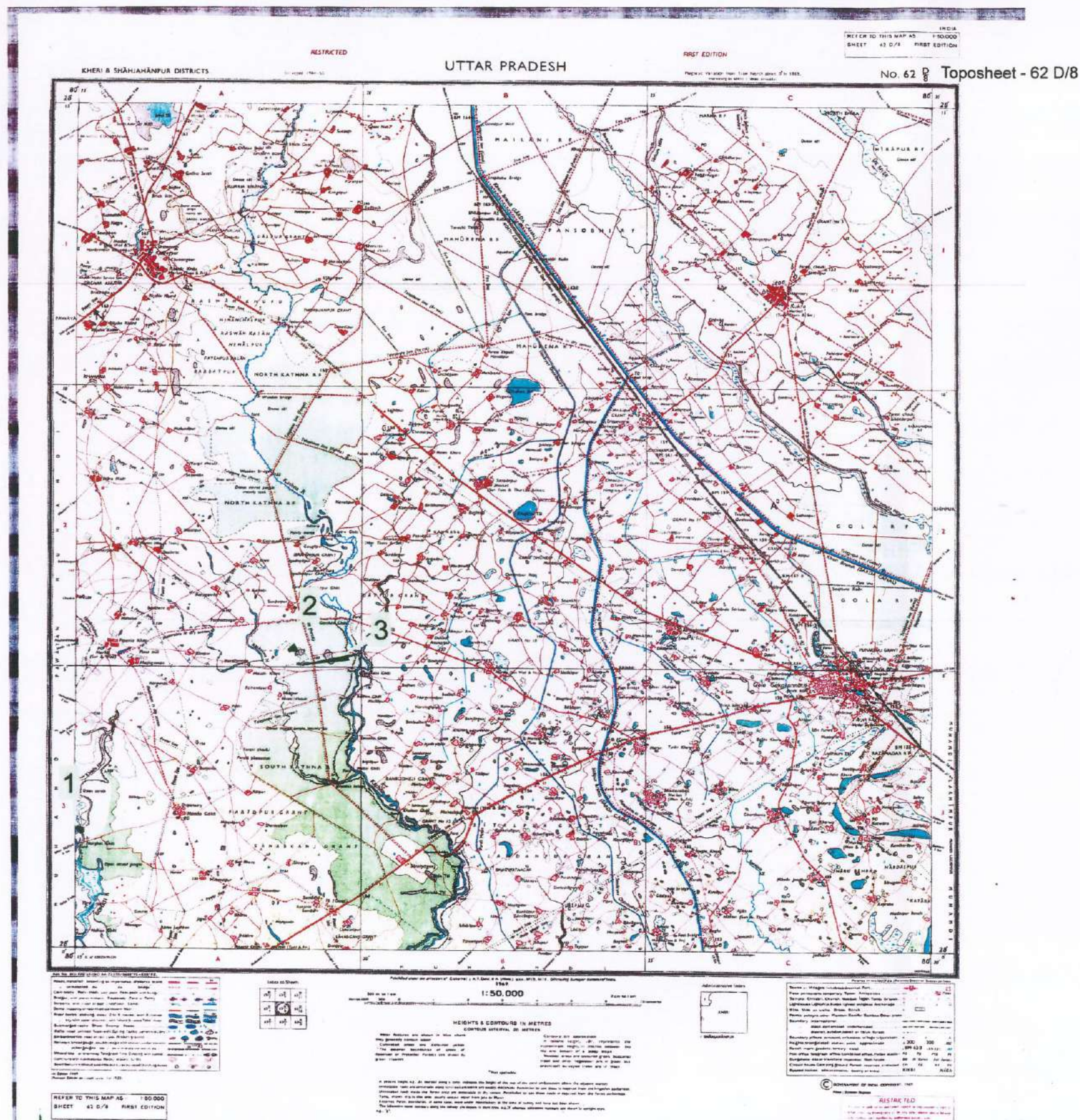
प्रमाणित वन्यधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SOUTH KHERI DIVISION

Survey of India Toposheet in 1: 50,000 scale indicating location of of the land identified for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



S. No.	Location Name	Area (ha)
1	Belapahada 3b (Mura Galib)	4
2	South Katna 1	3
3	South Katna 4	4

Legend

■ Area Identified for Compensatory Afforestation

PROJECT NAME
WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE
HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN
LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM
50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH
SOUTH KHERI DIVISION

(Scale - 1 : 50,000)

Survey of India Toposheet in 1: 50,000 scale indicating location of of the land identified for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in South Kheri Division of Lakhimpur Kheri District, Uttar Pradesh



No. G44C5
Scale 1:50,000



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
1st Edition 2008
Price Rs. 50/-

CONVENTIONAL SYMBOLS

Boundaries of India and its States and Union Territories	...
Boundaries of Districts	...
Boundaries of Townships	...
Boundaries of Gram Panchayats	...
Boundaries of Villages	...
Boundaries of Hamlets	...
Boundaries of Settlements	...
Boundaries of Forests	...
Boundaries of Protected Forests	...
Boundaries of National Parks	...
Boundaries of Sanctuaries	...
Boundaries of Wildlife Sanctuaries	...
Boundaries of Biosphere Reserves	...
Boundaries of Ramsar Sites	...
Boundaries of Wetlands	...
Boundaries of Wetlands of International Importance	...
Boundaries of Wetlands of National Importance	...
Boundaries of Wetlands of State Importance	...
Boundaries of Wetlands of Local Importance	...
Boundaries of Wetlands of Regional Importance	...
Boundaries of Wetlands of International Importance	...
Boundaries of Wetlands of National Importance	...
Boundaries of Wetlands of State Importance	...
Boundaries of Wetlands of Local Importance	...
Boundaries of Wetlands of Regional Importance	...

NOTES

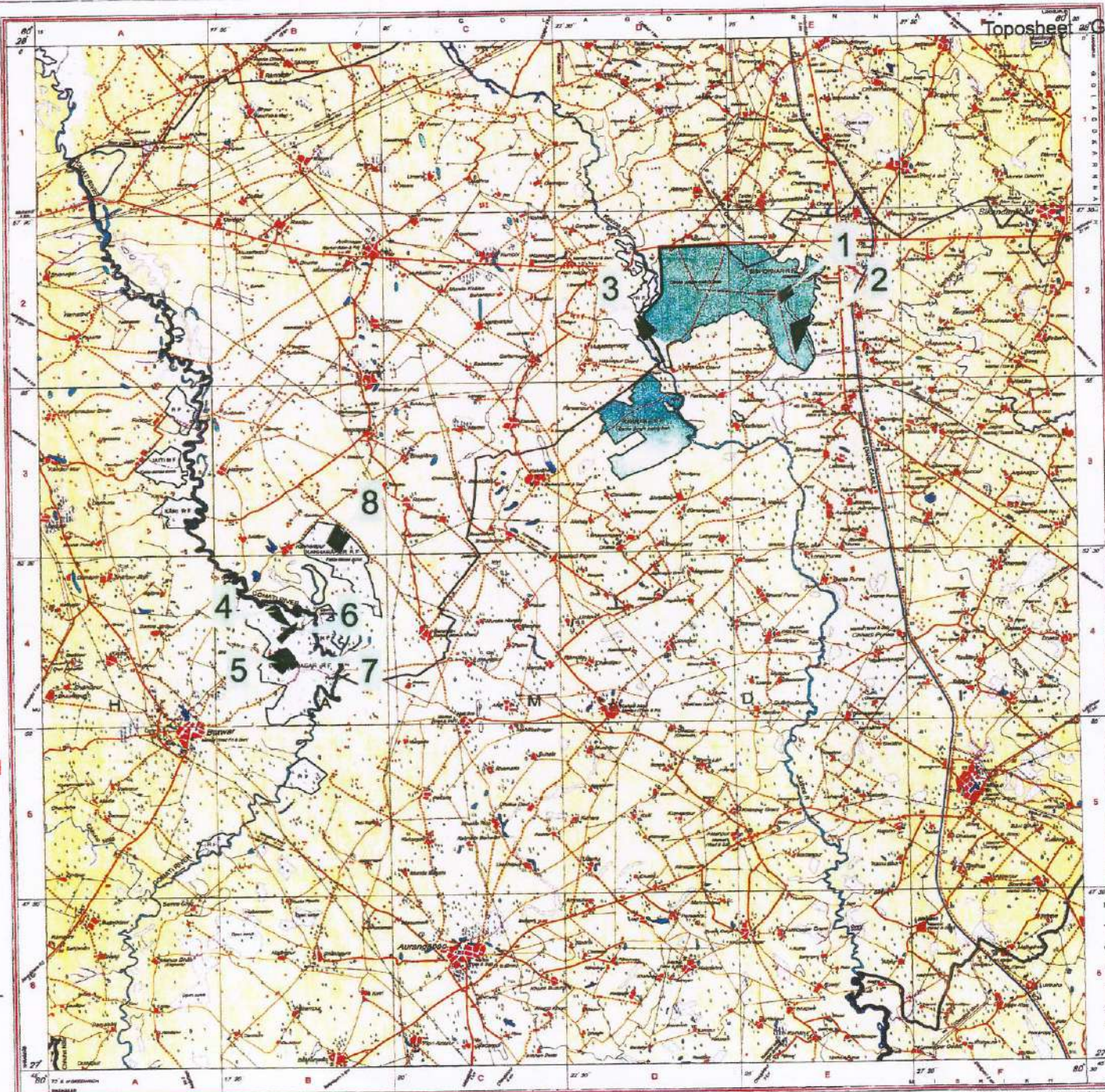
1. Heights and Distances are given in meters.
2. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
3. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
4. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
5. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
6. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
7. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
8. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
9. The map is based on the Survey of India Topographic Series.
10. The map is based on the Survey of India Topographic Series.



Projection - UTM Datum - WGS 84
Horizontal Datum - Indian Mean Sea Level (1956)
Vertical Datum - Indian Mean Sea Level (1956)
Scale - 1:50,000
Sheet Size - 25 cm x 35 cm

For further details refer to the map, please contact:
National Bureau of Survey and Mapping
Survey of India, P.O. Box 120, Dehra Dun
Uttarakhand - 248 001
Phone: 0135-2654432
Fax: 0135-2654432

REPRODUCTION OF THIS MAP IN WHOLE OR IN PART BY ANY MEANS IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SURVEY OF INDIA, THE NATIONAL MAPPING AGENCY.
© SURVEY OF INDIA 2008



Sl. No.	Location Name	Area (ha)
1	Bisokhar 2	3
2	Bisokhar 2A	15
3	Bisokhar 5	14
4	Dilawar Nagar Bhag 1 - Patch 1	25
5	Dilawar Nagar Bhag 1 - Patch 2	25
6	Dilawar Nagar Bhag 2 - Patch 1	22
7	Dilawar Nagar Bhag 2 - Patch 2	22
8	Saidapur 4	5

Legend

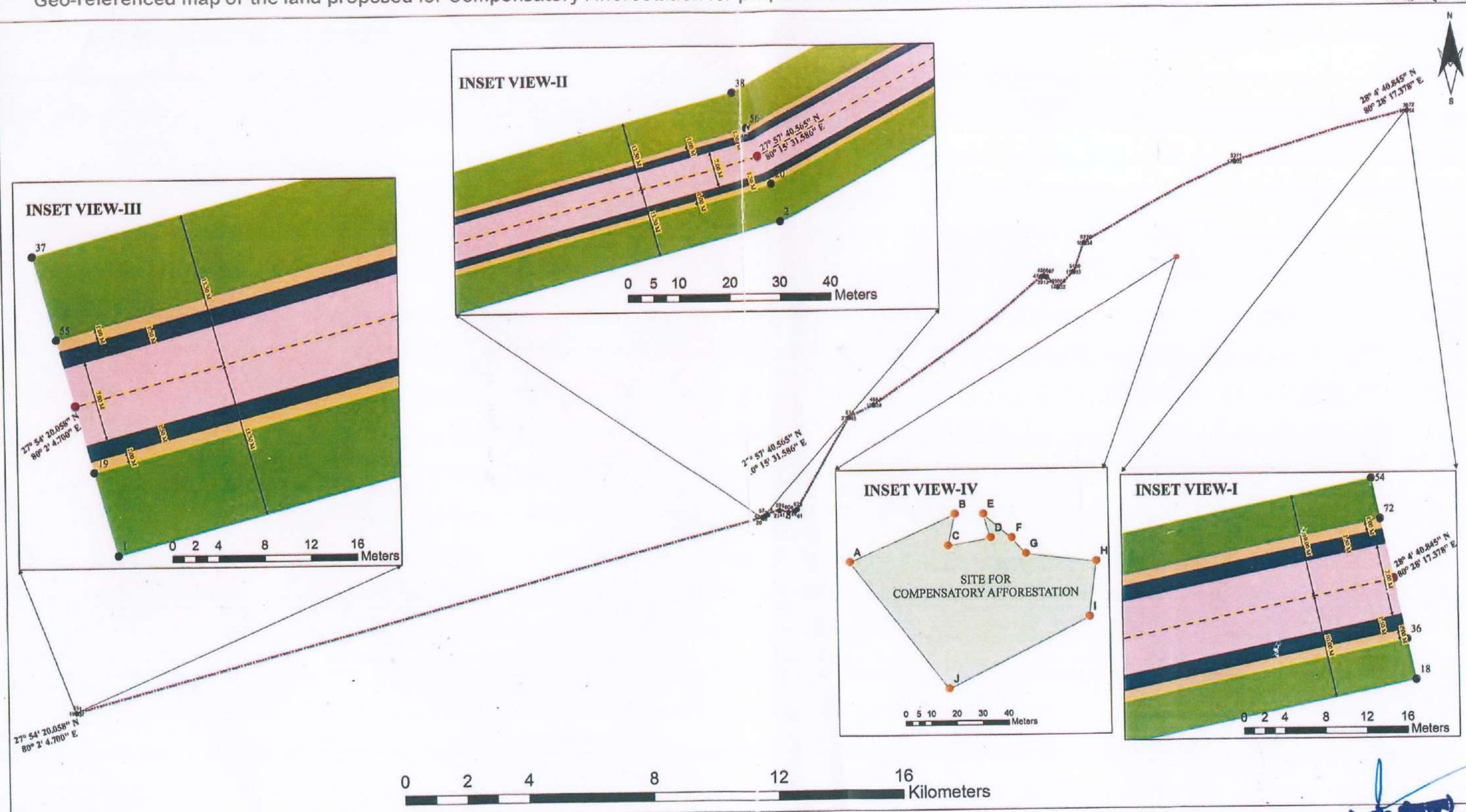
■ Area Identified for Compensatory Afforestation

PROJECT NAME
WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE
HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN
LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM
50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH
SOUTH KHERI DIVISION

(Scale - 1 : 50,000)

Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted in South Kheri Division (Km 0.000 to 49.000) &
Geo-referenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Reserved Forest Land in South Kheri Division

124
For Official Use Only



Legend

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| GPS Coordinates | Existing Road |
| GIS Generated Coordinates | Proposed For Road Widening |
| GPS Coordinates of Compensatory Area | Proposed Earthen Shoulder |
| Centre Line of the Road | ROW |
| | Area For Compansatory Afforestation |

प्रभागीय कार्यालय
दक्षिण खेरी प्रभाग
लखीमपुर-खेरी

Prepared by



Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
Sector-G, Jankipuram, Kursi Road
Lucknow-226 021

Note: Map Based based on GPS Coordinates and Measurements Given in the Drawing provided by P.W.D., Lucknow/ Divisional Forest officer, South-Kheri Forest Division, Lakhimpur Kheri.

124

**Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted in South Kheri Division (Km 0.000 to 49.000) &
Geo-referenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Reserved Forest Land in South Kheri Division
(Coordinates)**

ROW Coordinates (Generated in GIS)

S_NO	Lat	Long	S_NO	Lat	Long
1	27° 54' 19.636" N	80° 2' 4.833" E	36	28° 4' 40.655" N	80° 28' 17.424" E
2	27° 57' 40.150" N	80° 15' 31.747" E	37	27° 54' 20.481" N	80° 2' 4.567" E
3	27° 57' 41.766" N	80° 15' 35.081" E	38	27° 57' 40.974" N	80° 15' 31.399" E
4	27° 57' 43.717" N	80° 15' 37.929" E	39	27° 57' 42.481" N	80° 15' 34.508" E
5	27° 57' 47.476" N	80° 15' 51.633" E	40	27° 57' 44.476" N	80° 15' 37.426" E
6	27° 57' 45.414" N	80° 16' 2.279" E	41	27° 57' 48.357" N	80° 15' 51.570" E
7	27° 57' 46.609" N	80° 16' 9.705" E	42	27° 57' 46.293" N	80° 16' 2.252" E
8	27° 57' 48.686" N	80° 16' 12.513" E	43	27° 57' 47.356" N	80° 16' 9.172" E
9	27° 59' 24.140" N	80° 17' 15.172" E	44	27° 57' 49.283" N	80° 16' 11.749" E
10	27° 59' 37.270" N	80° 17' 44.421" E	45	27° 59' 24.879" N	80° 17' 14.442" E
11	28° 1' 49.731" N	80° 21' 3.407" E	46	27° 59' 38.109" N	80° 17' 43.861" E
12	28° 1' 50.718" N	80° 21' 6.524" E	47	28° 1' 50.581" N	80° 21' 2.853" E
13	28° 1' 49.802" N	80° 21' 9.614" E	48	28° 1' 51.721" N	80° 21' 6.515" E
14	28° 1' 39.363" N	80° 21' 23.430" E	49	28° 1' 50.629" N	80° 21' 10.231" E
15	28° 1' 55.287" N	80° 21' 42.327" E	50	28° 1' 40.393" N	80° 21' 23.395" E
16	28° 2' 25.241" N	80° 21' 55.658" E	51	28° 1' 55.806" N	80° 21' 41.394" E
17	28° 3' 48.582" N	80° 24' 53.515" E	52	28° 2' 25.885" N	80° 21' 54.920" E
18	28° 4' 40.528" N	80° 28' 17.455" E	53	28° 3' 49.518" N	80° 24' 52.961" E
19	27° 54' 19.870" N	80° 2' 4.759" E	54	28° 4' 41.163" N	80° 28' 17.301" E
20	27° 57' 40.391" N	80° 15' 31.684" E	55	27° 54' 20.246" N	80° 2' 4.641" E
21	27° 57' 41.959" N	80° 15' 34.913" E	56	27° 57' 40.747" N	80° 15' 31.503" E
22	27° 57' 43.929" N	80° 15' 37.788" E	57	27° 57' 42.277" N	80° 15' 34.659" E
23	27° 57' 47.722" N	80° 15' 51.618" E	58	27° 57' 44.266" N	80° 15' 37.564" E
24	27° 57' 45.656" N	80° 16' 2.252" E	59	27° 57' 48.114" N	80° 15' 51.604" E
25	27° 57' 46.794" N	80° 16' 9.525" E	60	27° 57' 46.047" N	80° 16' 2.240" E
26	27° 57' 48.890" N	80° 16' 12.329" E	61	27° 57' 47.134" N	80° 16' 9.300" E
27	27° 59' 24.353" N	80° 17' 14.936" E	62	27° 57' 49.155" N	80° 16' 12.004" E
28	27° 59' 37.519" N	80° 17' 44.247" E	63	27° 59' 24.632" N	80° 17' 14.623" E
29	28° 1' 49.989" N	80° 21' 3.241" E	64	27° 59' 37.865" N	80° 17' 44.043" E
30	28° 1' 51.027" N	80° 21' 6.520" E	65	28° 1' 50.340" N	80° 21' 3.045" E
31	28° 1' 50.054" N	80° 21' 9.803" E	66	28° 1' 51.428" N	80° 21' 6.517" E
32	28° 1' 39.655" N	80° 21' 23.464" E	67	28° 1' 50.385" N	80° 21' 10.049" E
33	28° 1' 55.411" N	80° 21' 42.027" E	68	28° 1' 40.067" N	80° 21' 23.436" E
34	28° 2' 25.426" N	80° 21' 55.445" E	69	28° 1' 55.634" N	80° 21' 41.664" E
35	28° 3' 48.865" N	80° 24' 53.304" E	70	28° 2' 25.711" N	80° 21' 55.139" E
			71	28° 3' 49.215" N	80° 24' 53.093" E
			72	28° 4' 41.036" N	80° 28' 17.332" E

Compensatory Area GPS Coordinates

S_NO	LAT	LONG
A	28° 2' 9.700" N	80° 23' 41.700" E
B	28° 2' 10.300" N	80° 23' 43.200" E
C	28° 2' 9.900" N	80° 23' 43.100" E
D	28° 2' 10.000" N	80° 23' 43.700" E
E	28° 2' 10.300" N	80° 23' 43.600" E
F	28° 2' 10.000" N	80° 23' 44.000" E
G	28° 2' 9.800" N	80° 23' 44.200" E
H	28° 2' 9.700" N	80° 23' 45.200" E
I	28° 2' 9.000" N	80° 23' 45.100" E
J	28° 2' 8.100" N	80° 23' 43.100" E

प्रभाणीय पलायिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी

EE

(जे० के० श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता
वायुय सहायक परियोजना
लो० नि० वि०, लखनऊ

49

Center Alignment of Road

Geo-referenced map (Type 2) of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Reserved Forest Land in South Kheri

Ganeshpur

Sansarpur Distributary

Sharda Canal

Kheri

Gauriganj

Janakpur

Asharfiganj

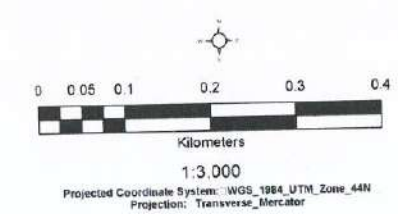
Land For Compensatory Afforestation For Reserved Forest

Project Name: Upgradation of SH-93 From Gola To Sahajanpur In State Of Uttar Pradesh
Geo-referenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Reserved Forest Land in South Kheri

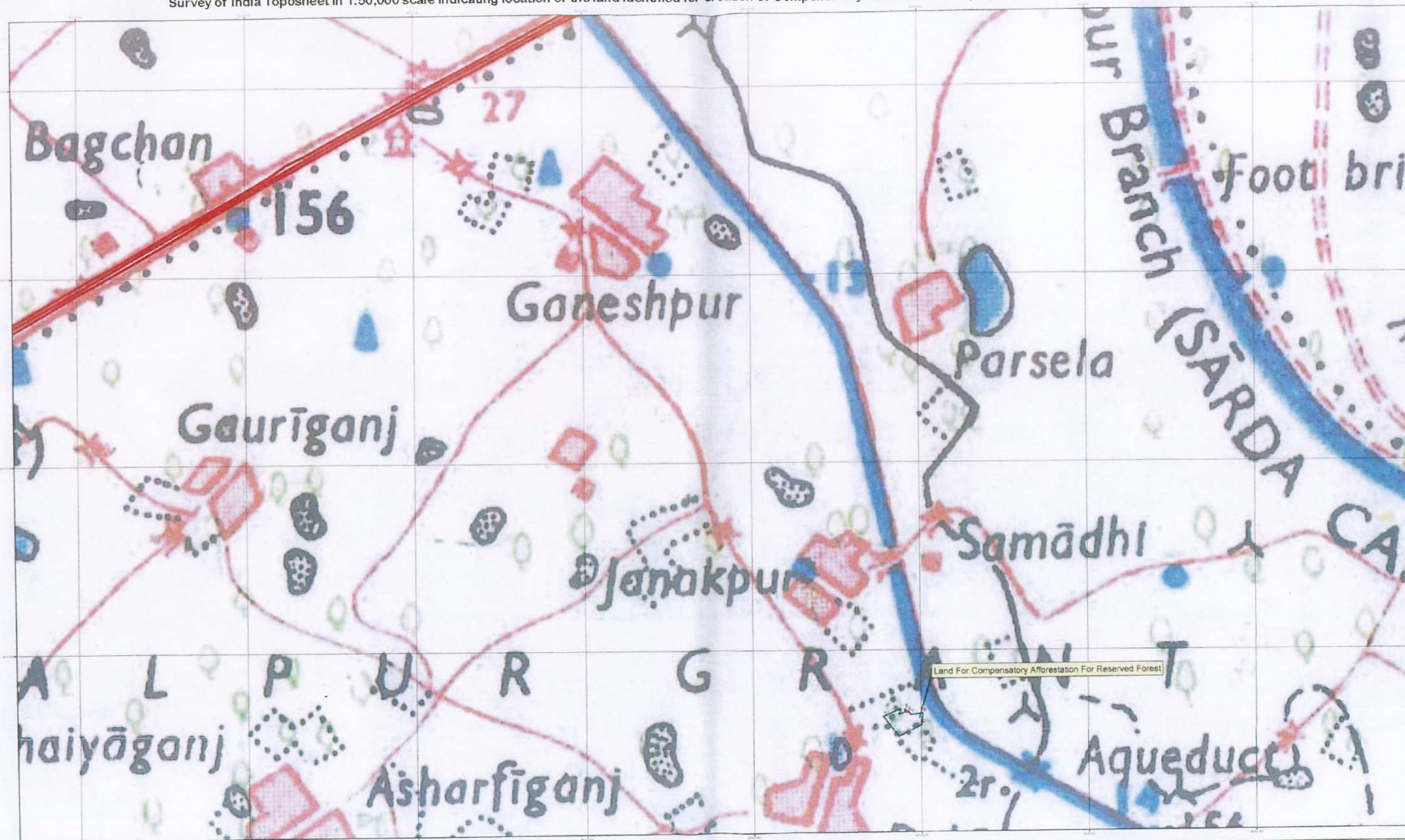
GPS_NO	Latitude	Longitude
1	28° 2' 9.7" N	80° 23' 41.7" E
2	28° 2' 10.3" N	80° 23' 43.2" E
3	28° 2' 9.9" N	80° 23' 43.1" E
4	28° 2' 10.0" N	80° 23' 43.7" E
5	28° 2' 10.3" N	80° 23' 43.6" E
6	28° 2' 10.0" N	80° 23' 44.0" E
7	28° 2' 9.8" N	80° 23' 44.2" E
8	28° 2' 10.0" N	80° 23' 45.2" E
9	28° 2' 9.0" N	80° 23' 45.1" E
10	28° 2' 8.1" N	80° 23' 43.1" E

Legend

- GPS_Points
- Towns Name
- Forest Area Required
- Road Center Line
- Railway Line



Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom left of the page.

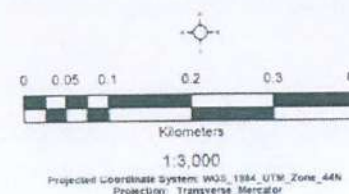


Project Name: Upgradation of SH-93 From Gola To Sahajanpur In State Of Uttar Pradesh

Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation for proposed diversion of Reserved Forest Land in South Kheri

GPS_NO	Latitude	Longitude
1	28° 2' 9.7" N	80° 23' 41.7" E
2	28° 2' 10.3" N	80° 23' 43.2" E
3	28° 2' 9.9" N	80° 23' 43.1" E
4	28° 2' 10.0" N	80° 23' 43.7" E
5	28° 2' 10.3" N	80° 23' 43.6" E
6	28° 2' 10.0" N	80° 23' 44.0" E
7	28° 2' 9.8" N	80° 23' 44.2" E
8	28° 2' 10.0" N	80° 23' 45.2" E
9	28° 2' 9.0" N	80° 23' 45.1" E
10	28° 2' 8.1" N	80° 23' 43.1" E

Legend
 GPS Points
 Forest Area Required
 Road Center Line

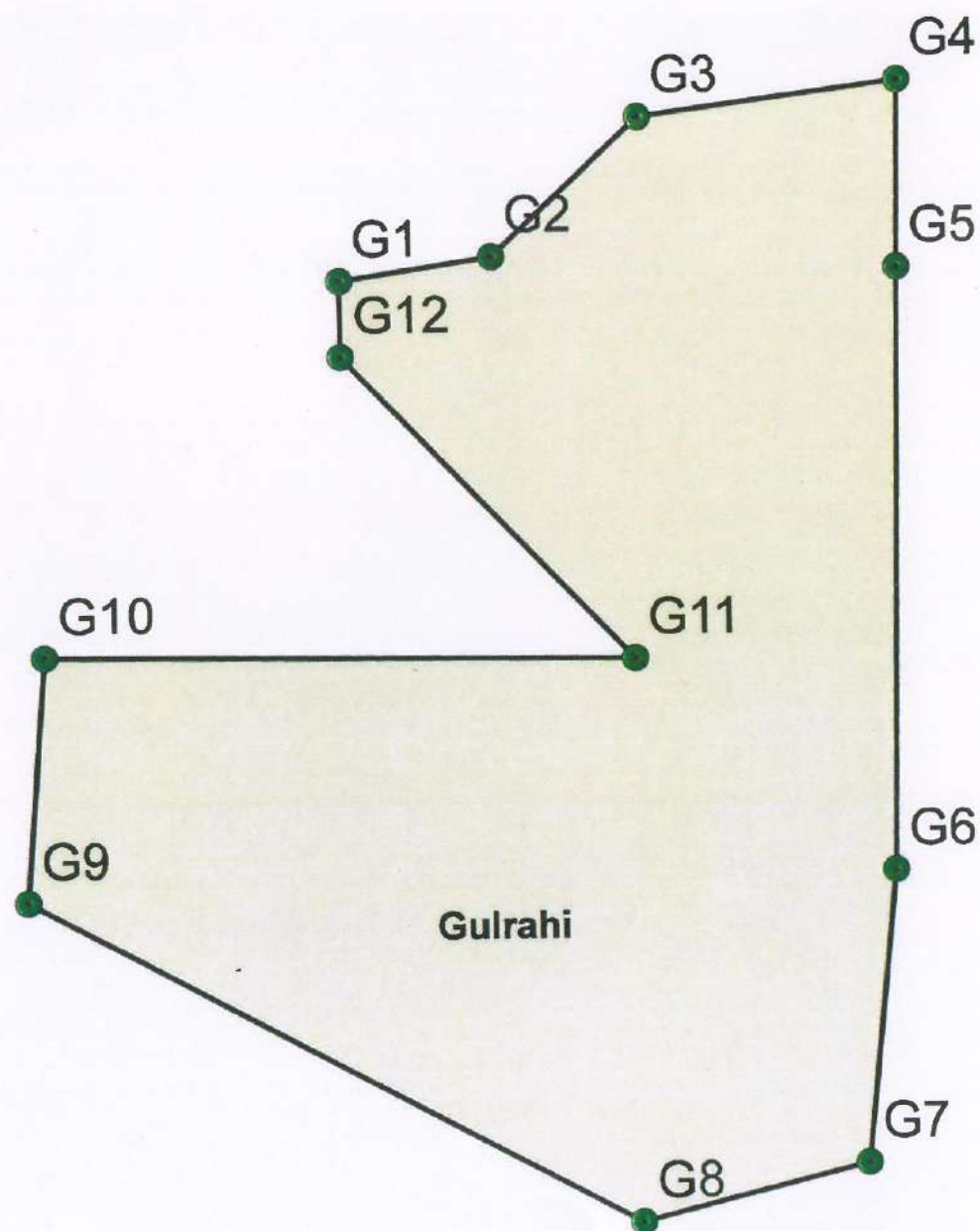


प्रशासक, जल संसाधन विभाग, लखनऊ

Signature

(Surendra Kumar)
 Chief Engineer
 Externally Aided Project
 PWD, UP, Lucknow

Georeferenced map of the land proposed for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in Shahjahanpur Division of Shahjahanpur District, Uttar Pradesh



Legend

- DGPS Point
- Identified area for Compensatory Afforestation

A. R. Agarwal
Superintending Engineer
World Bank, Goran Circle
P.W.D. Lucknow

[Signature]
प्रभाषीय निदेशक
सा. वा. प्रभाग, शाहजहाँपुर

Location	Point No.	Latitude (N)			Longitude (E)			Total Area (ha)
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second	
Gulrahi	G1	28	23	26.3	80	19	49.1	16
	G2	28	23	27.3	80	19	55.9	
	G3	28	23	33.44	80	20	2.55	
	G4	28	23	34.95	80	20	14.1	
	G5	28	23	26.61	80	20	13.92	
	G6	28	22	59.5	80	20	13.4	
	G7	28	22	46.41	80	20	11.96	
	G8	28	22	43.88	80	20	1.92	
	G9	28	22	58.53	80	19	34.79	
	G10	28	23	9.55	80	19	35.68	
	G11	28	23	9.2	80	20	2	
	G12	28	23	22.9	80	19	49.1	

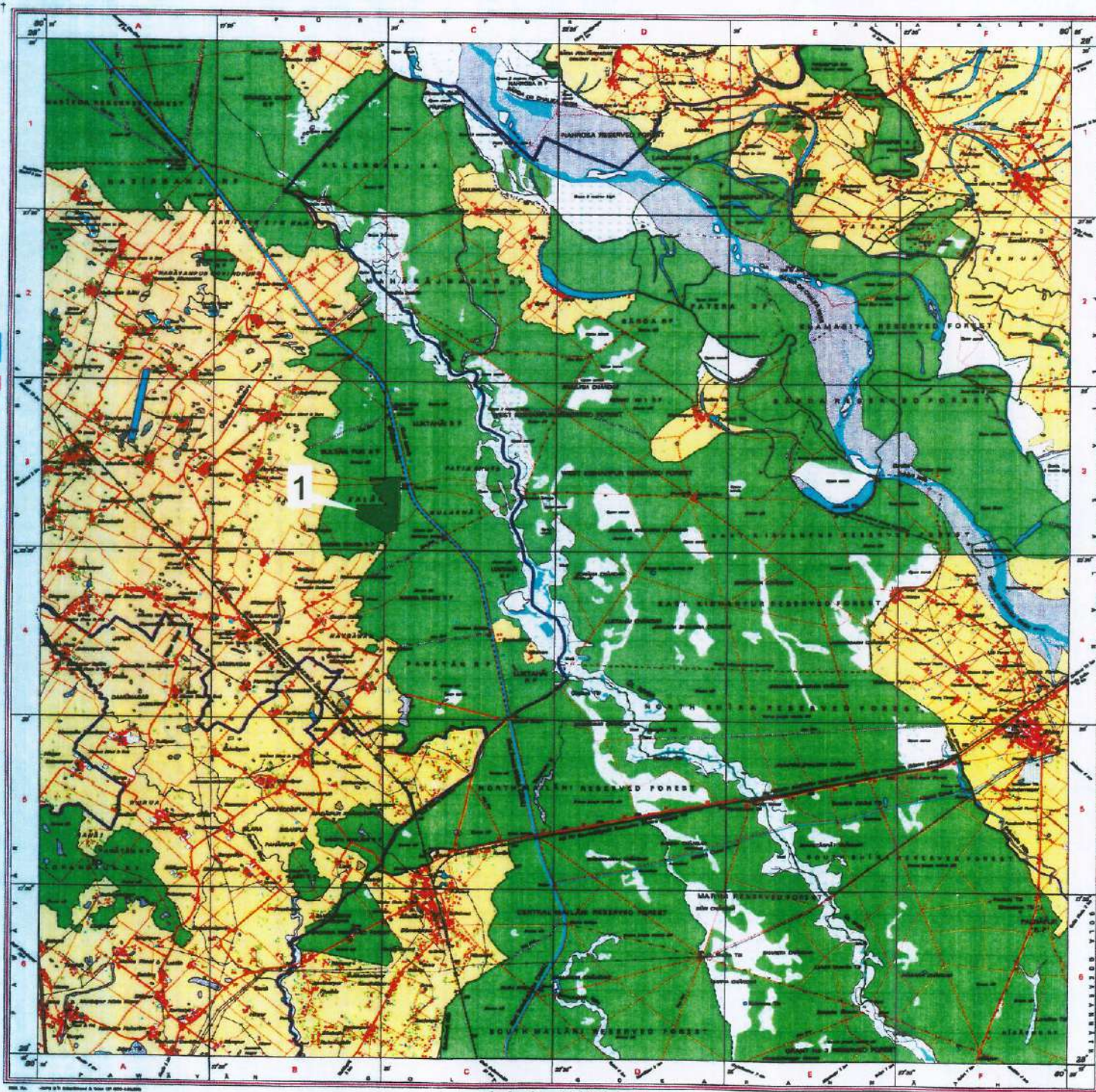
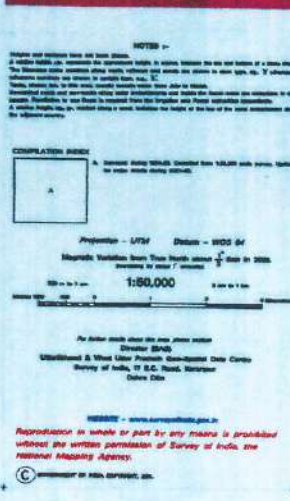
PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SHAHJAHANPUR DIVISION

Survey of India Toposheet in 1: 50,000 scale indicating location of of the land identified for Compensatory Afforestation for proposed diversion of Protected Forest Land in Shahjahanpur Division of Shahjahanpur District, Uttar Pradesh

Toposheet - H44U7



S. No.	Location Name	Area (ha)
1	Gulrahi	16

Legend

■ Area Identified for Compensatory Afforestation

PROJECT NAME

WIDENING OF GOLA-SHAHJAHANPUR SECTION
OF STATE HIGHWAY NO. 93 FROM KM 0.000 TO
KM 49.000 IN LAKHIMPUR KHERI DISTRICT AND
FROM KM 49.000 TO KM 50.000 IN SHAHJAHANPUR
DISTRICT OF UTTAR PRADESH

SHAHJAHANPUR DIVISION

(Scale - 1 : 50,000)